18

एनएमडीसी लिमिटेड

[एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित सी एंड एजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं 5 पर आधारित]

इस्पात मंत्रालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2022-23)

अठारहवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोकसभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अठारहवाँ प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोकसभा)

एनएमडीसी लिमिटेड

[एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित सी एंड एजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं 5 पर आधारित]

इस्पात मंत्रालय

[एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित सी एंड एजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं 5 पर आधारित]

20 दिसंबर, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

20 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण,1944(शक)

सीपीयू सं.1039

मूल्य: रूपए.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (.....संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची		
		पृष्ठ सं.
	समिति(2022-23) की संरचना	vi
	समिति (2021-22) की संरचना	vii
	समिति (2020-21) की संरचना	viii
	समिति (2019-20) की संरचना	ix
	प्राक्कथन	x
	प्रतिवेदन	
	भाग-एक	
	अध्याय-एक	
	प्रस्तावना	
क	कंपनी की पृष्ठभूमि	1
ख	विजन, मिशन और उद्देश्य	2
	अध्याय-दो	
	लौह अयस्क का उत्पादन	
क	रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) का अवास्तविक लक्ष्य और संशोधित एसएमपी विजन 2025	5
ख	डिपोजिट-11बी खान के विकास हेतु पैकेजों का निष्पादन	10
ग	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के माध्यम से विकास और उत्पादन हेतु पैकेजों का निष्पादन	15
	अध्याय-तीन	
	रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित कार्य	
क	जगदलपुर से किरनदुल तक किरनदुल-कोथावलासा (केके) रेल लाइन का दोहरीकरण	20
ख	जगदलपुर और अंबागांव के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण	22

	अध्याय- चार	
	लौह अयस्क की मांग और बिक्री	
	लौह अयस्क की मांग	26
	अध्याय- पांच	
	स्क्रीनिंग संयंत्र और पर्यावरणीय अनापत्ति संबंधी मुद्दे	
क	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) में स्क्रीनिंग संयंत्र-II	34
ख	किरनदुल परिसर में स्क्रीनिंग संयंत्र-III	37
	अध्याय- छह	
	विविधीकरण संबंधी क्रियाकलाप	
क	नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करना	40
ख	स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड, पलोंचा, तेलंगाना	49
	अध्याय- सात	
	संयुक्त उद्यमों में रणनीतिक निवेश	
क	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड में निवेश	53
ख	लेगसी आइरन ओर लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया में निवेश	56
	भाग- दो	
	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें	59
	परिशिष्ट	
एक	समिति की 27.10.21 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	79
दो	समिति की 14.12.21 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	82
तीन	समिति की 14.12.21 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	85
चार	समिति की 15.12.22 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	88

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्रीमती पूनमबेन माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्यसभा

16. श्री अनिल देसाई
17. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
18. श्री सैयद नासिर हुसैन
19. डॉ. अनिल जैन
20. श्री प्रकाश जावडेकर
21. डॉ. अमर पटनायक
22. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1.	श्री वी के त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री संतोष कुमार	-	निदेशक
3.	श्री जी सी प्रसाद	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्रीमती पूनमबेन माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
11. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री अनिल देसाई
17. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
18. श्री सैयद नासिर हुसैन
19. डॉ. अनिल जैन
20. श्री प्रकाश जावडेकर
21. डॉ. अमर पटनायक
22. श्री एम. शनमुगम

*** श्रीमती मीनाक्षी लेखी की 07 जुलाई, 2021 को मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण श्री संतोष कुमार गंगवार को 13 अगस्त, 2021 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति नियुक्त किया गया।**

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी
5. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजू
6. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन किंजरापु
10. प्रो. सौगत राय
11. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
18. श्री अनिल देसाई
19. श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार
20. श्री ओम प्रकाश माथुर
21. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
22. श्री एम.शनमुगम

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी
6. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजू
7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. डॉ. अनिल जैन
18. मोहम्मद अली खान
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री महेश पोद्दार
21. श्री ए.के. सेल्वाराज
22. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित सी एंड एजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं 5' पर आधारित यह 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20), (2020-21), (2021-22) और (2022-23) ने विस्तृत जांच हेतु उपर्युक्त विषय का चयन किया।

3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) को 27 अक्तूबर, 2021 को सीएंडजी के प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय के संबंध में पहली बार संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। तत्पश्चात्, समिति ने 14 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति (2022-23) ने 15 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. समिति राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में समिति को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा इस संबंध में प्रदान की गई सहायता के लिए उनकी प्रशंसा करती है।

7. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियांसिफारिशें प्रतिवेदन के भाग/-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;
15 दिसम्बर, 2022
24 अग्रहायण, 1944

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

अध्याय-एक

प्रस्तावना

क. कंपनी की पृष्ठभूमि

1.1 एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र का नवरत्न उद्यम है। यह भारत मे अकेला सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। नवंबर 1958 में देश में खनिज संसाधनों की खोज के मुख्य उद्देश्य के साथ निगमित किया गया था। छत्तीसगढ तथा कर्नाटक में प्रचालनरत उन्नत मशीनीकृत लौह अयस्क खानें इसके स्वामित्वाधीन हैं और इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। कंपनी को विश्व में लौह अयस्क के सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में से एक माना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित एकमात्र मशीनीकृत हीरा खान भी है। कंपनी इस्पात निर्माण के क्षेत्र में विविधीकरण कर रही है तथा इसने अपनी क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए अनेक पूंजी-सघन परियोजनाएं शुरू की हैं ताकि यह शीर्ष स्थान को बनाए रख सके। साथ ही इसने विदेश में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। कंपनी के उत्पादों में लौह अयस्क, लौह अयस्क पैलेट, स्लाइम और अपरिष्कृत हीरे शामिल हैं। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला सेक्टर में किरन्दुल (3 खदान) तथा बचेली (2 खदान) और कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में डोनीमलाई (2 खदान) में स्थित ओपन कास्ट खदानों के माध्यम

से लौह-अयस्क का उत्पादन करती है। लौह-अयस्क के उत्पादन के अतिरिक्त कंपनी ने कई व्यावसायिक विविधिकरण पहलें भी की हैं जैसे कि नगरनार, छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना करना, पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन, नगरनार में रक्षित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, पलोंचा, तेलंगाना में स्पॉन्ज आयरन यूनिट का अधिग्रहण; डोनीमलाई, कर्नाटक में पैलेट संयंत्र स्थापना करना आदि। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इस्पात संयंत्रों की स्थापना तथा कोयला और लौह-अयस्क खदानों के विकास हेतु केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रमों तथा भारत और विदेशों में निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में निवेश किया है।

ख. <u>विज़न, मिशन और उद्देश्य</u>

1.2 एनएमडीसी का विज़न सामाजिक विकास पर सकारात्मक बल देते हुए वैश्विक पर्यावरण हितैषी संगठन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादक के रूप में स्थापित होना है। इसका मिशन भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में शीर्ष स्थान को बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादक के रूप में स्वयं को स्थापित करना तथा भारत एवं विदेशों में विभिन्न लौह अयस्क, कोयला वं अन्य खनिज संपदाओं के अधिग्रहण एवं प्रचालन के माध्यम से व्यवसाय में विस्तार करना तथा अपने सभी पणधारियों को इष्टतम संतुष्टि प्रदान करना है।

1.3 कंपनी के उद्देश्यों को दो भागों यथा वृहद और सूक्ष्म उद्देश्य में विभाजित किया गया है:

<u>वृहद उद्देश्य</u>:

- खनन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्रों में प्रचालन का विस्तार करना जिससे कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढती हुई मांग को पूरा किया जा सके;
- प्रति व्यक्ति उत्पादकता, मूल्य संवर्धन एवं लागत प्रभावकारिता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना;
- वित्त वर्ष 2025 तक लौह अयस्क उत्पादन क्षमता को 67 एमटीपीए तक बढ़ाना;
- नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना करना।

<u>सूक्ष्म उद्देश्य</u>:

निम्नांकित द्वारा विकास हासिल करनः

- मौजूदा खानों का विस्तार करना;
- एनएमडीसी के पूर्ण स्वामित्व में या संयुक्त उद्यम द्वारा नई खानों का प्रचालन करना;
- लौह अयस्क तथा अन्य रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण एवं दोहन पर बल देना;
- पर्यावरण को संरक्षित रखना;
- वैज्ञानिक खनन के माध्यम से खनिज संसाधनों का संरक्षण करना ; ग्राहक संतुष्टि का उच्च स्तर बनाए रखना;
- सामान्य रुप से जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा विशेष रुप से खानों के आसपास सामाजिक आर्थिक वातावरण में सुधार लाना।

1.4 एनएमडीसी के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 2012 से 2016-17 की अवधि के दौरान विचारार्थ लिया गया था। सी एंड एजी ने वर्ष 2019 के अपने प्रतिवेदन सं 5 में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन, निकासी तथा बिक्री, व्यावसायिक विविधीकरण कार्यकलापों और संयुक्त उद्यमों में निवेश जांच की है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने 2021-22 के दौरान जांच और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त विषय का चयन किया। इस विषय पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एनएमडीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना। प्रतिनिधियों के साक्ष्य और इस विषय पर प्राप्त लिखित उत्तरों/सूचना के आधार पर समिति ने अपनी टिप्पणियां और सिफारिशें दी जो प्रतिवेदन के भाग-I और II में दी गई हैं।

अध्याय-दो

लौह अयस्क का उत्पादन

क. रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) के अवास्तविक लक्ष्य और संशोधित एसएमपी विजन 2025

2.1 सी एंड एजी ने वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 के पैरा सं. 2.1.3 और 2.1.4 में पाया कि एनएमडीसी ने अक्तूबर 2015 में अपनी रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी)-विजन 2025 में, लौह-अयस्क के उत्पादन के अति-महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्थात 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए निर्धारित किए। ये लक्ष्य इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सलाहकार के प्रतिकूल निष्कर्षों पर आवश्यक संज्ञान लिए बिना और लौह-अयस्क की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की घटती प्रवृत्ति पर विचार किए बिना निर्धारित किए गए। तदनुसार, सितंबर 2016 में एसएमपी में संशोधन किया गया जिसमे 2018-19 और 2021-22 तक लक्षित उत्पादन क्षमता क्रमश: 50 एमटीपीए तथा 67 एमटीपीए तक घटाई गई। तथापि, लक्षित उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं तथा अवसंरचना सुविधाओं के संस्थापन के लिए कार्यवाही परिकल्पित समय-सीमा के साथ समक्रमिक नहीं की गई।

2.2 पैरा संख्या 2.1.3 के संबंध में सी एंड एजी प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि कंपनी के पास वर्ष 2009-10 तक कॉर्पोरेट योजना थी। इसके बाद वर्ष 2015-16 तक कोई कॉर्पोरेट योजना नहीं बनाई गई थी। इसके बजाय, उत्पादन और

अन्य लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए गए थे। प्रशासनिक मंत्रालय ने 27 अक्तूबर 2014 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक में विजन दस्तावेज 'एनएमडीसी 2025' तैयार करने का सुझाव दिया क्योंकि कंपनी 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए का उत्पादन करना चाहती थी। तदुपरांत जनवरी 2015 में कंपनी द्वारा 0-57 करोड़ रुपए की लागत से मैसर्स एक्सेंचर को परामर्शदाता के रुप में नियुक्त किया गया। परामर्शदाता ने घरेलू बाजार में मौजूद ग्राहकों का, निर्यातों एवं कैपटिव उपयोग की संभावित मात्रा का मूल्यांकन करने के पश्चात मई 2015 में सुझाव दिया कि 75 एमटीपीए तथा 100 एमटीपीए के उत्पादन की प्राप्ति के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना निम्नलिखित कारणों से कठिन होगा:

- लौह अयस्क के अधिक उत्पादन का वैश्विक रूझान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा;

- इस्पात उत्पादन क्षमता में गिरावट के कारण आगामी 5 से 10 वर्षों तक लौह अयस्क की अधिक-आपूर्ति जारी रहेगी;

- प्रस्तावित खानों की क्षमताओं के बावजूद कंपनी परिकल्पित 100 एमटीपीए के लक्ष्य की तुलना में केवल 87 एमटीपीए का ही उत्पादन लक्ष्य कर सकेगी;

- इसके अतिरिक्त, 75/100 एमटीपीए बेचने के लिए कंपनी को इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना कंपनी द्वारा नगरनार, छत्तीसगढ़ में की जा रही है, हेतु निर्धारित आवश्यकता के अलावा 29.2 एमटीपीए तथा 45.2 एमटीपीए की मात्रा हेतु घरेलू बाजार में मौजूदा ग्राहकों से अधिक ग्राहक ढूंढने होंगे।

2.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से आगे यह पता चलता है कि परामर्शदाता के मत के बावजूद कंपनी ने अक्तूबर 2015 में रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी)-विजन 2025 को कार्यान्वित करना शुरु किया जिसमें निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

क) लौह अयस्क खनन क्षमता को 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए तक बढाना।

ख) अन्वेषण कार्यकलापों, फारवर्ड इंटीग्रेशन और मूल्य वर्धित कारोबार (पैलेट तथा इस्पात) को सुदृढ़ करना।

ग) एनएमडीसी से संबंधित और देश के लिए महत्वपूर्ण अन्य वस्तुओं में वृद्धि संभावना के आधार पर नीतिगत रूप से विविधीकरण करना; और

घ) 'खनन और कारोबार संभावना' के आधार पर चयन करके अन्य भौगोलिक स्थानों पर निवेश करना।

2.4 पैरा 2.1.4 के संबंध में सी एंड एजी ने इंगित किया कि एसएमपी में अनुमानों एवं अवधारणाओं पर निकट भविष्य में बाजार की स्थिति में मंदी रहने की संभावना और विश्लेषकों द्वारा घरेलू लौह अयस्क के दीर्घावधि कीमत अनुमान में संशोधन और विशेष रूप से ओडिशा से लौह अयस्क आपूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि के आधार पर फरवरी 2016 में पुन: विचार किया गया। यह बताया गया कि अक्तूबर 2015 में मूल एसएमपी - विज़न 2025 तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क कीमतों में फरवरी 2011 के यूएस $187 से अक्तूबर

2015 में यूएस $53 तक गिरावट आ चुकी थी जो गिरावट का रूझान दर्शाती है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमतों में भी गिरावट का रूझान दिखाई दिया क्योंकि कीमतों में अप्रैल 2013 में यूएस $548 प्रति टन के उच्च स्तर से अक्तूबर 2015 के दौरान यूएस $268 प्रति टन तक की गिरावट आई थी। उसी प्रकार, घरेलू लौह अयस्क के कीमत रूझान ने भी दर्शाया कि कीमतों में नवंबर 2012 से गिरावट आ रही थी और गिरावट का रूझान अक्तूबर 2015 के दौरान जारी रहा।

2.5 यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान उनके द्वारा निर्धारित 50 एमटीपीए का संशोधित लक्षित उत्पादन प्राप्त किया है, एनएमडीसी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कंपनी का लौह अयस्क उत्पादन क्रमशः 32.36, 31.49 और 34.15 मिलियन टन था।

2.6 हालांकि, वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान एनएमडीसी के कार्य-निष्पादन का हवाला देते हुए, सी एंड एजी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 50 एमटीपीए उत्पादन प्राप्त करने के कंपनी के दावे के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की और बिना उचित औचित्य के 2018-19 के प्रारंभिक लक्षित वर्ष से हर बार अपने लक्ष्य को संशोधित करने में कंपनी की भूमिका पर सवाल उठाया।

2.7 यह पूछे जाने पर कि रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) में निर्धारित समय सीमा के अनुसार लक्षित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने के कार्य को पूरा करने के

लिए आगे क्या कार्रवाई की गई, एनएमडीसी ने निम्नवत जानकारी दी:-

"एनएमडीसी ने चालू वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 में 47 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन की एक व्यापक योजना बनाई तथा वित्त वर्ष 2021-22 में नवंबर 2021 तक पहले आठ महीनों में 24.37 मिलियन टन उत्पादन तथा 24.96 मिलियन टन बिक्री की उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 36 % तथा बिक्री में 33 % की वृद्धि हासिल की है।"

2.8 एनएमडीसी के उपरोक्त उत्तर के जवाब में, सी एंड एजी ने तर्क दिया कि निकासी (लिफ्टेड) किए गए लौह अयस्क की वास्तविक मात्रा और कंपनी द्वारा बेची गई लौह अयस्क की वास्तविक मात्रा हमेशा आवंटित मात्रा से कम थी और इसलिए, कंपनी का यह कहना कि वह 2021-22 के दौरान 47 एमटी का उत्पादन और बिक्री करेगी, स्वीकार्य योग्य नहीं लगता है क्योंकि पहले आठ महीनों के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 24.37 एमटी था। इसके अलावा, कोठावालासा-किरंदुल रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी पूरा नहीं हुआ था जिससे खनन किए गए अयस्क की निकासी प्रभावित होगी।

2.9 उपर्युक्त मुद्दे पर, इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय बताया:-

"सबसे पहले इनका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान है, इनके प्लान के हिसाब से इन्होंने 67 मिलियन टन की बात की थी और हमने जब इनसे डिटेल मांगी थी तो उससे यह निकल कर आया था कि एग्जिस्टिंग माइन्स में से 52 मिलियन टन ब्राउन फील्ड बढ़ाएंगे और 15 मिलियन टन ग्रीन फील्ड बढ़ाएंगे। उसमें से इन लोगों को ग्रीन फील्ड मिलने में प्रॉब्लम हुई, चूँकि हमने कुछ माइन्स के लिए ओडिशा

गवर्नमेंटसे भी बात की थी। इनको ब्राउन फील्ड के एक्सपेंशन में समन्वय के लिए कहीं-कहीं पर प्रॉब्लम्स रहीं जैसे इनके इवैक्यूएशन इश्यूज़ थे, इसलिए ये उसको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए हमने इनको 47 का रियलिस्टक टारगेट दिया है। यह इनका एम ओ यू टारगेट है। ये उसमें से ऑलरेडी 24 मिलियन टन नवम्बर माह तक पूरा कर चुके हैं । एक प्रश्न ऑडिटर्स ने पूछा था कि उन्होंने नवम्बर तक 24 मिलियन टन का टारगेट पूरा किया है तो अगले चार महीनों में 47 मिलियन टन के टारगेट तक कैसे पहुंच पाएंगे। हमने टारगेट देते समय इसका एनालिसिस किया था। इनका लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर हम पिछले साल का या उससे पहले का डेटा देखेंतो 50 परसेंट प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर में हुआ था। "

2.10 समिति को दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, एनएमडीसी ने 2021-22 के दौरान 42.19 एमपीटीए लौह अयस्क का उत्पादन किया है।

ख . भंडार 11-बी खान के विकास हेतु पैकेजों का कार्यान्वयन

2.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.3.1 में बताया कि बेलाडीला सेक्टर में भंडार-11बी खान के विकास के लिए सभी पैकेजों का निष्पादन उनके लिए निर्धारित पूर्णता की तारीखों के बाद तक भी पूरा नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना जून 2008 के निर्धारित पूर्णता समय के बजाय मार्च 2018 तक कार्यान्वयन के अंतर्गत रही। 11बी खान की 7 एमटीपीए की संस्थापित क्षमता के बदले स्क्रीनिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता और अन्य पैकेज कार्यों के अपूर्णता के कारण, अगस्त 2015 में क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम के चालू होने के पश्चात वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कंपनी क्रमश: 0.61 एमटीपीए और 0.58 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन कर सकी।

2.12 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि जुलाई, 2005 में एनएमडीसी ने बैलाडिला लौह अयस्क भंडार-11बी के लिए मेकॉन लिमिटेड को इंजीनियरिंग, ठेका खरीद सेवाएं एवं परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण प्रबंधन सेवाओं (ईपीसीएम) का ठेका प्रदान किया था। निर्धारित पूर्णता अवधि ठेका देने से 35 महीने अर्थात् जून, 2008 तक थी। परामर्शदाता ने पूरी परियोजना को छः मुख्य पैकेजों और चार उप-पैकेजों में विभाजित किया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया कि परियोजना में मुख्यतः साइट की स्थितियों के कारण और पैकेज- III (भूमि कार्य) में सॉयल नेलिंग तकनीक से ग्राउंटिड नेलिंग तकनीक में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण विलंब हुआ था जिसका अन्य पैकेज ठेकेदारों को कार्य स्थल सौंपने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, डिजाइन में परिवर्तन, ड्राइंग्स के अनुमोदन, स्थानीय बाधाओं, ठेकेदार द्वारा श्रमबल और सामग्री की कमी के कारण विलंब हुआ था।

2.13 सभी पैकेजों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ समस्त काम को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया, तो एनएमडीसी ने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

> "सेवा केंद्र (सर्विस सेंटर) की सुविधाओं के निर्माण में शामिल ढांचागत/शीटिंग कार्य तथा 01 इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (इओटी) क्रेन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य सभी पैकेज के कार्य पूर्ण हो गए थे। सेवा केंद्र की सुविधाओं का उप पैकेज अर्थात सेवा केंद्र सुविधाओं में शामिल ढाँचागत कार्य पूर्ण होने वाला है तथा कोरूगेटेड गल्वानाइज्ड आयरन (सीजीआई) की छत पर शीट बिछाने का कार्य दिसंबर, 2021 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। 01 ईओटी क्रेन का निर्माण का बचा हुआ कार्य तथा सभी 04 ईओटी क्रेन को प्रारंभ करने का कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

हालांकि इन कार्यों के पूर्ण न होने से 11-बी खान के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।"

2.14 एनएमडीसी के उत्तर के प्रतिक्रिया में, सी एंड एजी ने आगे निम्नवत कहा:-

"एनएमडीसी के उत्तर में स्क्रीनिंग संयंत्र III का उल्लेख नहीं है जिसका निर्माण और चालू होना बाकी है। उत्पादन के निकास के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र III को पूरा किए बिना 11 बी खान से 7 एमटीपीए का पूर्ण उत्पादन संभव नहीं है।"

2.15 यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी 2018-19 से 2020-21 के दौरान भंडार 11बी खानों से 7 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन करने में सक्षम थी, एनएमडीसी ने निम्नानुसार बताया:-

"भंडार 11बी से एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2.20 मिलियन टन, वित्त वर्ष 2019-20 में 3.99 मिलियन टन और वित्त वर्ष 2020-21 में 4.49 मिलियन टन का उत्पादन किया है। लिंक्ड स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-III) का निर्माण और चालू होना बाकी है। इसलिए, 7 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी है। भंडार 11 बी की वर्तमान मात्रा को एसपी(स्क्रीनिंग संयंत्र) -I और एसपी-II के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है जो एनएमडीसी की निकटवर्ती खदानों से जुड़े हुए हैं और वित्त वर्ष 2020-21 में एसपी-II में एक अतिरिक्त स्क्रीनिंग लाइन चालू करने के साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में 11 बी के उत्पादन को और बढ़ाया जाएगा।"

2.16 उपर्युक्त उत्तर के संबंध में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आगे बताया:-

"उत्पादन के निकास के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र III को पूरा किए बिना 11 बी खान से 7 एमटीपीए का पूर्ण उत्पादन संभव नहीं है। निकासी सुविधाओं की कमी के कारण कंपनी द्वारा 2021-22 के दौरान 47 एमटी के प्रस्तावित उत्पादन पर स्क्रीनिंग संयंत्र III की अनुपलब्धता का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, कोथावलसा-किरंदुल रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी पूरा नहीं हुआ है जिससे खनन अयस्क की निकासी प्रभावित होगी।"

2.17 यह पूछे जाने पर कि शेष दो पैकेजों के कब तक पूरा होने की संभावना है और समस्त काम को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एनएमडीसी ने लिखित उत्तर के माध्यम से सूचित किया कि:-

"सेवा केंद्र सुविधाएं पैकेज: संविदा को जोखिम और लागत के मद्देनजर समाप्त कर दिया गया था और काम को पांच उप-पैकेजों में विभाजित किया गया था, जिनमें से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चार पैकेज पूरे किए गए थे और पांचवां उप-पैकेज दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ईओटी क्रेन पैकेज की आपूर्ति और निर्माण: 01 इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवेलिंग क्रेन (ईओटी) का शेष निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।"

2.18 जब उनसे भंडार 11बी के पैकेजों के कार्यान्वयन में विलंब के संबंध में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया, जहां परामर्शदाता द्वारा चित्र के अपर्याप्त अनुमान, श्रमशक्ति एवं सामग्री की कमी के कारण कार्य की धीमी प्रगति और अन्य कार्यों के समन्वयीकरण न होने को जिम्मेदार ठहराया गया था और क्या विलंब के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई थी, एनएमडीसी ने लिखित टिप्पण के माध्यम से निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

"ड्राइंग प्रस्तुत करने में विलंब, जनशक्ति और सामग्री की कमी के कारण कार्य की धीमी प्रगति और अन्य कार्यों में समन्वयीकरण ना होने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के संबंध में, अनुबंध के अनुसार पैकेज ठेकेदारों/परामर्शदाता पर परिसमापन क्षति (एलडी)/जुर्माना लगाया गया।"

2.19 एनएमडीसी के उत्तर की प्रतिक्रिया में, सी एंड एजी ने आगे निम्नवत बताया:-

"कंपनी ने 11बी खान के संबंध में तीन पैकेजों को छोड़कर प्रत्येक ठेकेदार/सलाहकार पर लगाए गए पैकेज-वार एलडी/जुर्माने का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, उन्हें वसूल किया गया था या नहीं, ये जानकारी भी प्रदान नहीं किया गया था। इसमें कंपनी के उन कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो कंपनी पर आरोप्य विलंब के लिए उत्तरदायी हैं।"

2.20 भंडार 11बी खानों में कार्य में विलंब के मुद्दे पर इस्पात मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिए:-

"डिपॉजिट-11बी किरंदूल, छत्तीसगढ़ में है । हमारा इसमें से सात मिलियन टन प्रोडक्शन होना था और वर्ष 2008 में इसको शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आईं और उनकी वजह से यह शुरू नहीं हो पाया था। अब वर्ष 2019-20 में सात की जगह इन लोगों ने 4 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। हम लोगों का यह वन ऑफ द मेजर टारगेट है, जिसे हम लोग मिनिस्ट्री में मॉनिटर करते हैं, जैसा कि मैंने डैशबोर्ड के माध्यम से उल्लेख किया, कि इसका प्रोडक्शन बढ़े। इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं। इनको इसमें सात पैकेज बनाने थे। इन्होंने

पांच पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी दो पैकेज नहीं हुए हैं। हम निगरानी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, जिससे हमारा 11बी डिपॉजिट, जिसमें सात मिलियन टन प्रोडक्शन हो सकता है। यह पूरे प्रयास में करना है, जिससे इसमें तीन मिलियन टन और हो सके। टैस्ट ऑडिटर्स ने यह पॉइंट आउट किया है, क्योंकि इसी एरिया में स्क्रीनिंग प्लांट-3 लग रहा है। उनका कहना है कि वह साथ में रेडी नहीं हो पाएगा, जो कि होना चाहिए था। इससे 11बी को एक्टिवेट करने में मुश्किल होगी।

सर, बात तो सही है, लेकिन स्क्रीनिंग प्लांट -3 में कुछ डेटा देते समय इन्होंने लैंड की फिगर गलत दे दी थी, जिसे मैं बाद में बताऊंगी। इसी वजह से वह वर्ष 2013 से डिले हुआ और हमें पांच साल का लॉस हो गया। हम लोगों की तरफ से एक चिट्ठी भी गई है कि जहां-जहां डिले हुआ है, वहां रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करके हमें रिपोर्ट दी जाए।"

ग. <u>कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के माध्यम से विकास और उत्पादन के लिए पैकेजों का निष्पादन</u>

2.21 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.3.2 और 2.3.3 में पाया कि मार्च 2018 तक कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) का निष्पादन अभी भी कार्यान्वयनाधीन था, हालांकि इसे मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा संशोधित सामरिक प्रबंधन योजना-विजन 2025 के अनुसार 2018-19 तक 7 एमटीपीए का परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त

करना दूरस्थ नजर आता है। इसके अतिरिक्त, केआईओपी के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र और रेलवे यार्ड के साथ लोडिंग संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी को केआईओपी की आवश्यक सुविधाओं के पूरा होने तक खनन कार्य की आउटसोर्सिंग शुरू करनी पड़ी, जो पर्यावरण के अनुकूल कदम नहीं था।

2.22 एनएमडीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि परियोजना के निष्पादन में विलंब कंपनी और ठेकेदारों दोनों के कारण हुई थी। इसके अलावा, पैकेज I और II मई 2017 के दौरान चालू किए गए थे और निष्पादन गारंटी जांच दिसंबर 2017 के दौरान की गई थी। पहुंच मार्ग निर्माण कार्य जुलाई 2018 तक पूरा हो गया था। टिकाऊ पर्यावरण हितैषी खनन कार्यकलापों को सुनिश्चित करने के लिए केआईओपी क्रशिंग संयंत्र, डाऊनहिल कनवेयर और स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-II) सुविधाओं की आवश्यकता तर्क संगत थी जो उत्पादन की आउटसोर्सिंग की बजाय आने वाले समय में कंपनी की सहायता करेगी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से शिकायतें और राज्य सरकार से आपत्तियां प्राप्त हुई थी जिसने रेल या कनवेयर के माध्यम से अयस्क के परिवहन को आवश्यक बना दिया जोकि समय की मांग थी।

2.23 इस्पात मंत्रालय ने लेखा परीक्षा टिप्पणी से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि टिपरों के माध्यम से आउटसोर्सिंग ठेकेदारों द्वारा अयस्क का परिवहन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, और एनएमडीसी ने वाहक(कन्वेयर) प्रणाली के

माध्यम से रेल द्वारा विभागीय उत्पादन शुरू किया। स्क्रीनिंग संयंत्र का कार्य भी परिकल्पना के अनुसार शुरू नहीं हो सका।

2.24 जब यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या केआईओपी के सभी पैकेज पूरे हो गए हैं और क्या कंपनी ने केआईओपी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, एनएमडीसी ने निम्नानुसार बताया: -

> "उन्होंने कहा, सभी पैकेजों का काम पूरा हो चुका है। कुमारस्वामी माइंस से एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 5.24 मिलियन टन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3.88 मिलियन टन और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3.82 मिलियन टन का उत्पादन किया। एनएमडीसी ने विभागीय उत्पादन के माध्यम से कुमारस्वामी माइंस से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3.12 मिलियन टन और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.18 मिलियन टन का उत्पादन किया।"

2.25 उपर्युक्त संदर्भ में, लेखापरीक्षा में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:-

"विभागीय उत्पादन के माध्यम से पूर्ण उत्पादन केवल स्क्रीनिंग संयंत्र II के निर्माण पर संभव है, जिसके लिए सांविधिक मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।"

2.26 उपर्युक्त मुद्दे पर, इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष निम्नानुसार गवाही दी :

"सर, साउथ में कुमार स्वामी माइन्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें टैस्ट ऑडिटर्स ने उसका जिक्र किया है। यह कुमारस्वामी आयरन ओर प्रोजेक्ट है। यह हमें वर्ष 2012 में कम्प्लीट करना था। इसमें हमारे पैकेजेस कम्प्लीट हो गए हैं। इसमें हम आधा आउटसोर्सिंग के थ्रू बना रहे हैं और आधा डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन से बना रहे हैं। टैस्ट ऑडिट, सीएजी ने यह पॉइंट आउट किया है कि अगर यहां पर अपना स्क्रीनिंग संयंत्र लग जाता तो हम खुद इसको बना सकते थे। यह एक तथ्य है लेकिन मुख्य सुपष्ट मुद्दा यह है कि आउटसोर्सिंग से हो रहा है, लेकिन सात मिलियन टन का प्रोडक्शन होना चाहिए था, वह पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। यहां पर दो माइन्स हैं। एक डोनीमलाई है और दूसरी कुमारस्वामी है। ये दोनों मिलकर पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं। "

2.27 कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एनएमडीसी ने निम्नानुसार बताया: -

"कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।"

2.28 उपर्युक्त संदर्भ में, लेखा परीक्षा ने निम्नानुसार आगे टिप्पणी की:-

"यह जवाब सही नहीं है। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2018 में आउटसोर्सिंग से उत्पादन के माध्यम से कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान में किए गए उल्लंघनों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस पर कंपनी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर नोटिस वापस ले लिया है या नहीं।"

अध्याय - तीन

रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य

क. जगदलपुर से किरनडुल तक किरनडुल-कोठावालासा (केके) रेलवे लाइन का दोहरीकरण

3.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.5.1 में पाया कि एनएमडीसी ने परिकल्पित उच्च उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निकासी सुविधा को बढ़ाने के क्रम में, केके रेलवे लाइन के किरनडुल से जगदलपुर खंड के दोहरीकरण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया और 826.57 करोड़ रुपये (2011-12 स्तर) की अनुमानित लागत के साथ दिसंबर 2012 में रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। जिसे बाद में अगस्त 2018 तक रेलवे द्वारा ₹1,160.83 करोड़ में कार्यान्वित और पूर्ण करने लिए संशोधित (दिसम्बर 2015) किया गया। इस लाइन के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले अयस्क की मात्रा 12 एमटीपीए थी। दोहरीकरण का कार्य तीन भागों में बांटा गया था अर्थात जगदलपुर से सिलकझोरी - 45.50 किमी, सिलाकझोरी से गीदम - 52.734 किमी और गीदम से किरनडुल - 52.228 किमी। दिसंबर 2017 में कंपनी द्वारा जमा की गई 525.00 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में रेलवे द्वारा किया गया व्यय 465.83 करोड़ रुपये है, जो केवल 40 *प्रतिशत* की समग्र वित्तीय प्रगति को दर्शाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आगे कहा कि:-

क) इस तथ्य के बावजूद कि दिसंबर 2017 तक परियोजना निष्पादन की 88 *प्रतिशत* समय सीमा समाप्त हो गई थी, कार्य की समग्र भौतिक प्रगति

केवल 41.50 *प्रतिशत* थी। इसके अलावा, उपरोक्त तीन भागों में से, जगदलपुर से सिलकझोरी भाग का कार्य पूर्ण हुआ था जबकि अन्य दो भागों में कार्य अपने क्रियान्वयन (दिसम्बर 2017) के आरंभिक चरण में था। । यह परियोजना अगस्त 2018 तक यानी रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन (दिसंबर 2012) में हस्ताक्षरित करने के 68 महीनों के भीतर पूरी होने वाली थी। दिसंबर 2017 तक, 68 महीनों में से 60 महीने बीत चुके थे। यह पूरा होने की कुल समय अवधि का 88 प्रतिशत है।

ख) कार्य के समापन में देरी से निकासी क्षमता बढ़ाने की कंपनी की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ग) समझौता ज्ञापन(एमओयू) में रेलवे से मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसे और अधिक धनराशि की और जारी करने की मांग के साथ जोड़ा जाना था, को आवश्यक बनाने के अलावा परियोजना निगरानी तंत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3.2 जवाब में, एनएमडीसी ने मार्च 2018 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचित किया कि नक्सल गतिविधियों के कारण किरनडुल से सिलकझोरी भाग से संबंधी में कार्य की प्रगति केवल 16 *प्रतिशत हुई* है और रेलवे द्वारा जोनल,

डिवीजन और सेक्शन स्तर पर कार्य की प्रगति की निगरानी की गई थी और इसकी सूचना एनएमडीसी को हर महीने दी जा रही थी।

(ख) <u>जगदलपुर और अम्बागांव के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण</u>

3.3 जगदलपुर से अम्बागांव के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के संबंध में, उनकी रिपोर्ट के पैरा 2.5.2 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पाया कि एनएमडीसी ने जगदलपुर और अम्बागांव (25 किमी) के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि नगरनार में स्थापित किए जाने वाले समेकित इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) के कारण यातायात की मात्रा में प्रत्याशित दो गुना वृद्धि से निपटने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तदनुसार, कंपनी ने 2.5 वर्ष की पूर्णता अवधि अर्थात् जनवरी 2019 तक सहभागी मॉडल के अंतर्गत ₹257.75 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2016 में रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ एक करार किया। कंपनी ने दिसंबर 2017 तक 114 करोड़ रुपये की राशि जमा की। रेलवे की प्रगति रिपोर्ट (दिसंबर 2017) के अनुसार, 50% की वास्तविक प्रगति परियोजना पर अभी तक लिए गए समय के अनुसार थी।

3.4 इस्पात मंत्रालय ने किरनडुल से जगदलपुर तक रेल लाइन के दोहरीकरण की स्थिति के विषय में जानकारी देते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचित

किया कि कार्य के दूरस्थ स्थानों में उग्रवादियों की समस्याओं, भूमि विपथन के मुद्दों, वन स्वीकृतियों आदि के कारण विलंब हुआ था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रेलवे द्वारा निगरानी के अलावा पीएमओ (प्रधान मंत्री कार्यालय) द्वारा 'प्रगति' पोर्टल में हर महीने परियोजना की निगरानी की जा रही है।

3.5 किरनडुल-कोठावालासा (केके) रेल लाइन के किरनडुल-जगदलपुर खंड के पूरा होने की नवीनतम स्थिति और परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख के बारे में पूछे जाने पर एनएमडीसी ने निम्नानुसार स्पष्ट किया: -

"रेलवे ने पूरे 150 किलोमीटर के दोहरीकरण कार्य को तीन खंडों में विभाजित किया है।

"रेलवे ने पूरे 150 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य को तीन खंडों में विभाजित किया है।

क) खंड-I (जगदलपुर से सिलकझोरी तक) 45 किमी है और दोहरीकरण का कार्य 17.06.2017 को पूरा हो गया है;
ख) खंड-II (किरंदुल से गिदाम तक) 52 किमी है और 8 किमी का दोहरीकरण कार्य पूरा हो गया है।
ग) खंड-III (गिदाम से सिलाकझोरी तक) 53 किमी है और 32 किमी का दोहरीकरण कार्य पूरा हो गया है।"

3.6 एनएमडीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 150 किलोमीटर में से 85 किलोमीटर का दोहरीकरण शुरू हो चुका है और शेष 65 किलोमीटर का कार्य

प्रगति पर है। खंड-II और खंड -III में प्रगति क्रमशः 26% और 86% है। कार्य की समग्र प्रगति 74% है। कोविड-19 की दूसरी लहर और क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के कारण काम की प्रगति प्रभावित हुई थी। निम्नलिखित सूची के अनुसार मंत्रालय ने रेलवे को दिसंबर, 2022 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है:-

- खंड-III के डबपाल-कवरगांव-काकलूर प्रखंडों के बीच -21 कि.मी. दिसम्बर 2021 में।
- खंड - II के दंतेवाड़ा और कमलूर के बीच 12 किमी - जून 2022 में।
- खंड- II के किरंदुल और बचेली के बीच 10 किमी - सितंबर 2022 में।
- खंड-II के बचेली-भांसी-कमलूर प्रखंडों के बीच 22 कि.मी -दिसंबर 2022 में ।

3.7 एनएमडीसी के उपरोक्त उत्तर के जवाब में सीएंडएजी ने आगे कहा कि किरंदुल-कोट्टावालासा लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा नहीं होने के बावजूद एनएमडीसी ने 2021-22 के दौरान 47 मीट्रिक टन के उत्पादन और बिक्री का अनुमान लगाया है पर यह नहीं बताया है कि वे लौह अयस्क को कैसे निकालेंगे।

3.8 इसी मुद्दे पर साक्ष्य के दौरान इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नलिखित बताया:-

> "किरंदुल के एरिया से रिलेटिड एक और इश्यू सीएजी रिपोर्ट में है - डबलिंग ऑफ केके रेलवे लाइन। इस पूरी लाइन को तीन भागों में बांटा गया है। किरनदूल से कोथावालसा नाम की जगह है, यह लाइन वहां तक

चलेगी। इसमें सैक्शन-1 कम्प्लीट हो चुका है। सैक्शन-2, जो किरंदुल से गीदम तक का है, इसमें 8 किलोमीटर कम्प्लीट है और 52 किलोमीटर में से बैलेंस बचा हुआ है। तीसरा गीदम से सिलकजोड़ी है। वहां पर भी हम लोगों का 53 में 32 किलोमीटर है। बेसिकली 150 किलोमीटर में से 85 किलोमीटर हो गया है, 65 किलोमीटर बचा हुआ है। हमारी इसमें एक्सपेक्टेड डेट दिसम्बर, 2022 है। हमारा रेलवे के साथ में रेगुलर लाइजन हो रहा है। इन्फैक्ट, रेलवे ने कई जगह वह बनाया था, लेकिन वह टूट गया है। मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि सीएजी को यह कंसर्न है कि अगर किरंदुल की लाइन नहीं बनेगी और हम 11बी छत्तीसगढ़ की माइन्स में बढ़ा भी देते हैं, जैसे हम 47 को करेंगे तो हम उसको इवेकुएट कैसे करेंगे। हम यहां पर बताना चाहेंगे और शायद सीएमडी ने भी बताया होगा कि किरंदुल की लाइन हम डबल कर रहे हैं। वहां ऑलरेडी सिंगल लाइन चल रही है। हम लोगों ने ज्यादा रेक की डिमांड की है। रेलवे ने वैरियस ऑकेजन हम लोगों को ज्यादा रेक दिए भी हैं, जिससे हम लोग निकाल पा रहे हैं। इससे भी सहायता मिलेगी । अगर यह कभी उग्रवादी कार्यकलाप से प्रभावित होता है, तो हमारे पास एक समानांतर निकासी प्रणाली होगी। हम लोगों ने यह भी शुरू किया है।"

3.9 रेल लाइनों के निर्माण और संबंधित मंत्रालयों के साथ संपर्क के संबंध में इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नलिखित बताया:-

"जो पर्यावरण क्लीयरेंस और रेललाइन कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि सैक्रेटरी रेग्यूलर एनवायरमेंट सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं। इन्हें जो भी क्लीयरेंस मिली हैं, इसी वजह से मिली हैं। रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में भी चाहे राव घाट की रेलवे लाइन हो या किरेंदुल की, इसके साथ रेलवे के साथ हमारी लगातार बातचीत होती है।"

अध्याय - चार

लौह अयस्क की मांग और बिक्री

लौह अयस्क की मांग

4.1 सीएंडएजी ने रिपोर्ट के पैरा 2.7 में पाया कि एनएमडीसी ने लौह अयस्क की सहमत मात्रा की आपूर्ति का आश्वासन देने वाले ग्राहकों के साथ तीन से पांच वर्षों के लिए वैध दीर्घकालिक संविदाएं की हैं और वैधता अवधि की समाप्ति पर इन संविदाओं का नवीकरण किया गया था। कंपनी ने लंबी अवधि के ग्राहकों के अलावा छत्तीसगढ़ आधारित स्पंज आयरन उत्पादकों को समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार लौह अयस्क की आपूर्ति की है। 01 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी के ग्राहक आधार में 27 लौह अयस्क ग्राहक और 65 स्पंज आयरन कंपनियां शामिल थीं। प्रमुख ग्राहक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड आदि थे। इसके अलावा, कंपनी ने स्पॉट बाजारों में लौह अयस्क भी बेचा। 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान बैलाडिला और डोनिमलाई क्षेत्रों के संबंध में कंपनी का ग्राहक आधार निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बै.	डो.	बै.	डो.	बै.	डो.	बै.	डो.	बै.	डो.
छत्तीसगढ़(सीजी) ग्राहकों को छोड़कर ग्राहक*	21	34	22	32	33	32	19	51	20	51
एसआईपीबी द्वारा परामर्शित सीजी ग्राहक	67	----	54	----	60	----	63	---- --	41	---
कुल	**88**	**34**	**76**	**32**	**93**	**32**	**82**	**51**	**61**	**51**

बै. - बैलाडिला; डो. - डोनिमलाई

*इसमें क्रमश: पोस्को, दक्षिण कोरिया तथा जापानी स्टील मिल के निर्यात ग्राहक सम्मिलित है।

4.2 यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमडीसी ने 50 एमटीपीए अयस्क बेचने के लिए लौह अयस्क के संभावित खरीदारों की पहचान की है, कंपनी ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार बताया::-

"एनएमडीसी बैलाडिला क्षेत्र (छत्तीसगढ़) में उत्पादित अपने लौह अयस्क की बिक्री मुख्यत: अंतिम प्रयोगकर्ता संयंत्रों को दीर्घावधि करार (एलटीए) के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में लौह अयस्क की बिक्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मॉनीटरिंग समिति द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से ही की जाती है। वर्तमान में एनएमडीसी का बैलाडिला क्षेत्र से लौह अयस्क की बिक्री के लिए लगभग 85 लौह एवं इस्पात संयंत्रों के

साथ दीर्घावधि करार है जिसमें एकीकृत इस्पात संयंत्र, द्वितीयक इस्पात उत्पादक, पेलेट तथा स्पांज निर्माता शामिल हैं। एनएमडीसी ने लौह अयस्क की मांग को देखते हुए बैलाडिला क्षेत्र में अपने ग्राहकों से लगभग 40-50 मिलियन टन प्रति वर्ष की मांग दर्ज की है। डोनिमलाई क्षेत्र में कोई दीर्घावधि करार नहीं है क्योंकि बिक्री पूरी तरह से नीलामी के माध्यम से की जाती है एवं बिक्री संबंधित अवधि में नीलामी के निष्पादन पर निर्भर करती है। एनएमडीसी अपने डोनिमलाई कॉम्प्लेक्स से पिछले वर्षों में अपने उत्पादन की पूरी बिक्री मौजूदा ग्राहक आधार के साथ करता रहा है तथा एनएमडीसी डोनिमलाई कॉम्प्लेक्स से अपने सम्पूर्ण उत्पादन की बिक्री कर सकता है। लौह अयस्क की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एनएमडीसी प्रत्येक वर्ष में नए ग्राहकों के साथ नए दीर्घावधि संविदाएं कर रहा है। इस तरह से एनएमडीसी आगामी वर्षों में योजना के अनुसार बढ़ी हुई मात्रा की आपूर्ति कर सकता है। 2019-20 के दौरान ग्राहकों द्वारा दी गई लौह अयस्क-लम्प की आवश्यक मात्रा 12.57 एमटी थी।"

4.3 लेखापरीक्षा ने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा लौह अयस्क की आवंटित मात्रा और वास्तविक निकासी की भी जांच की, जो निम्नानुसार है:

(मात्रा मिलियन टन में)

वर्ष	बैलाडिला क्षेत्र			डोनिमलाई क्षेत्र			उठाई गई मात्रा मे सपूर्ण अंतर
	आबंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	अंतर	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत मात्रा	उठाई गई वास्तविक मात्रा	अंतर	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)	8(4+7)
2018-19	34.46	23.32	11.14	12.00	9.00	3.00	14.14
2019-20	35.94	24.50	11.44	12.00	7.10	4.90	16.34
2020-21	35.94	25.84	10.10	12.00	7.41	4.59	14.69

4.4 एनएमडीसी के बैलाडिला क्षेत्र और डोनिमलाई क्षेत्र में लौह अयस्क की आवंटित मात्रा और वास्तविक निकासी के बीच के अंतर के संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाया गया:-

"उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उठाई गई/बेची गई वास्तविक मात्रा हमेशा आबंटित मात्रा से कम थी। इसलिए, कंपनी का यह तर्क कि वह वर्ष 2021-22 के दौरान 47 एमटी का उत्पादन और बिक्री हासिल करेगी, ठीक नहीं हो सकता क्योंकि पहले आठ महीनों के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 24.37 एमटी था। इसके अलावा, कोत्तवलसा-किरंदुल रेलवे लाइन का

दोहरीकरण भी पूरा नहीं हुआ है जिससे खनन किए गए अयस्क की निकासी प्रभावित होगी।"

4.5 उपरोक्त के क्रम में लेखापरीक्षा ने आगे यह कहा कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए आबंटित मात्रा की तुलना में लौह अयस्क के वास्तविक प्रेषण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी का यह तर्क कि बैलाडिला क्षेत्र से 40 से 50 एमटी की पंजीकृत मांग थी, का औचित्य नहीं है। इसके अलावा, जापान और दक्षिण कोरिया को आपूर्ति के लिए निर्यात संबंधी संविदाओं का वर्ष 2020-21 से नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसलिए, वर्ष 2021-22 के दौरान 47 एमटी के लक्षित उत्पादन और बिक्री को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

4.6 इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नलिखित बातें कहीं:-

"जो दूसरा इश्यू टेस्ट ऑडिट ने रेज किया है, वह पोटेंशियल बायर्स के बारे में है। अगर ये मैटेरियल बना भी लेंगे तो किसे बेचेंगे। हम लोगों ने इसकी भी एक स्टडी की हुई है। छत्तीसगढ़ में स्पांज आयरन एसोसिएशन एक मेजर स्टेकहोल्डर है, जो हमेशा डिमाण्ड करते हैं कि उनको हमारे एनएमडीसी से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। दूसरा, हम लोगों का जो नगरनार स्टील प्लांट बनने जा रहा है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट 5.8 से 6 मिलियन टन रेगुलर बेसिस पर होगी। भले ही यह कंपनी डिसइनवेस्टमेंट की कगार पर है, लेकिन हम लोगों को एक लाँग टर्म एग्रीमेंट देना है, ताकि जो भी उसे लेगा, उसे एक रेगुलर फ्लो मिलेगा। "

4.7 यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक प्राप्त किए जाने वाले अयस्क के 67 एमटीपीए उत्पादन को बेचने के लिए लौह अयस्क

के संभावित खरीदारों की पहचान की है, एनएमडीसी ने 10.12. 2021 के एक लिखित नोट में निम्नलिखित जानकारी दी:-

"एनएमडीसी विगत समय में अपने ग्राहकों को जोड़े रखने में समर्थ रहा है तथा साथ ही एनएमडीसी बैलाडिला क्षेत्र से नए ग्राहकों को शामिल करने के हर संभव प्रयास कर रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान एनएमडीसी ने 12 नए ग्राहक जोड़े हैं जिनकी संयुक्त मांग लगभग 10 से 12 मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) में पूर्ण रूप से उत्पादन प्रारंभ होने पर लगभग 4 से 5 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। नए ग्राहकों को शामिल करने तथा एनआईएसपी की आवश्यकताओं के कारण एनएमडीसी की बैलाडिला क्षेत्र से लगभग 54 से 58 मिलियन टन की मांग है। जापान तथा दक्षिण कोरियाई इस्पात मिलों को लौह अयस्क का निर्यात रोक दिया गया है क्योंकि इन देशों के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के बाद दीर्घावधि करार नहीं किया गया है। एनएमडीसी लिमिटेड नए ग्राहकों को बढ़ाने तथा कर्नाटक एवं निकटवर्ती राज्यों में नए ग्राहकों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात पर भी प्रतिबंध है। राज्य में लौह एवं स्पांज इकाइयां ही एकमात्र उपाय हैं। बैलाडिला क्षेत्र से लगभग 54 से 58 मिलियन टन तथा डोनिमलाई क्षेत्र से लगभग 14 मिलियन टन की मांग के साथ एनएमडीसी के पास वित्त वर्ष 2024-25 तक 67 मिलियन टन बिक्री करने की पर्याप्त मांग है।"

4.8 उपर्युक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा में आशंका जताई गई कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान बैलाडीला के ग्राहकों द्वारा लौह अयस्क की वास्तविक उठान को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 तक नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र से 4-5 एमटी की अनुमानित मांग पर विचार करने के बावजूद 67 एमटीपीए हासिल करना संभव नहीं होगा। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान

11.44 एमटी की अनुमानित मांग पर 10 नए दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा लौह अयस्क उठाने का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

4.9 एनएमडीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार (महामारी के बाद) विकसित अर्थव्यवस्थाओं से इस्पात की मांग में वृद्धि और चीन से मांग में लगातार वृद्धि के साथ, 2021-22 की पहली तिमाही में इस्पात की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इससे लौह अयस्क की मांग में वृद्धि हुई है । हालांकि ब्राजील से लौह अयस्क की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक तनाव ने लौह अयस्क की कीमतों को बढ़ा दिया है। जून-जुलाई 21 के दौरान बेंचमार्क 62 प्रतिशत सूचकांक हेतु लौह अयस्क की कीमतें $215-220/टन के आसपास थीं। इसके अलावा, निकट अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमतें बढ़ने के आसार हैं जिससे घरेलू अयस्क की मांग बढ़ेगी।

4.10 एनएमडीसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (2021-22) में निम्नलिखित आधार पर घरेलू इस्पात उत्पादन में वृद्धि की भी परिकल्पना की है: (एक) चीन में इस्पात उत्पादन पर अंकुश, रूस पर प्रतिबंध और युद्ध में यूक्रेन को हुई क्षति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात और लौह अयस्क की आपूर्ति बाधित हुई है तथा (दो) पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में उच्च श्रेणी के अयस्क की मांग में वृद्धि के कारण एनएमडीसी के लौह अयस्क की मांग में

वृद्धि होने की अपेक्षा है क्योंकि यह विश्व में अयस्क के सर्वोत्तम श्रेणियों में से एक है।

4.11 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि नीलामी नियम लागू होने से एनएमडीसी के लिए जोखिम बढ़ गए हैं क्योंकि इसके प्रमुख ग्राहकों, मुख्य रूप से जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और एएम-एनएस इंडिया, ने खनिज समृद्ध राज्यों में कैप्टिव खानों का अधिग्रहण कर लिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और एएम-एनएस इंडिया ने नई अधिग्रहीत खानों से उत्पादन भी शुरू कर दिया है और निकट भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना बनाई है। नीलामी के नए दौर से भविष्य में इस्पात उत्पादकों के साथ-साथ अन्य व्यापारिक संगठनों की लौह अयस्क की क्षमता और बढ़ने की संभावना है। इससे मध्यम से लंबी अवधि में एनएमडीसी के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्याय - पाँच

स्क्रीनिंग संयत्र के मुद्दे और पर्यावरण मंजूरी

क. कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) में स्क्रीनिंग संयत्र -II

5.1 सीएण्डएजी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.4.1 में उल्लेख किया है कि कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) द्वारा मार्च 2014 में आवेदन के तीन वर्षों से अधिक समय के बाद स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए जून 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा स्तर-1 वन मंजूरी मिलने की शर्त पर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की सिफारिश की गई। यह विलंब कंपनी पर आंशिक रूप से रोप्य था क्योंकि कंपनी भूमि आवश्यकता में वृद्धि के कारण संशोधित विचारार्थ विषयों का आवेदन करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने में विफल रही और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक जानकारी विलंब से प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2014 में वन मंजूरी के लिए आवेदन किया गया था जो डिफरेंशियल ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण में अनुचित विलंब और उप वन सरंक्षक, बेलारी द्वारा मांगे गये महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत न किये जाने के कारण मार्च 2018 में प्रतीक्षित था।

5.2 सीएण्डएजी ने आगे स्पष्ट किया कि डोनीमलाई लौह अयस्क परियोजना (डीआईओपी) में अतिरिक्त भंडारों की पहचान के कारण, कंपनी ने कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के लिए एक द्वितीय स्क्रीनिंग

संयंत्र (एसपी-II) के निर्माण का निर्णय लिया। मेकॉन ने जून 2013 में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा ₹399.75 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 12 सितंबर 2014 को इसकी सावधानीपूर्वक जांच की गई । एनएमडीसी ने मार्च 2014 में केआईओपी के स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन किया था हांलाकि पर्यावरण मंजूरी कंपनी द्वारा आवेदन करने के तीन वर्षों से अधिक विलंब से प्राप्त हुआ। संशोधित विचारार्थ विषयों (टीओआर) हेतु आवेदन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में कंपनी की विफलता तथा राज्य पीसीबी द्वारा ग्राम सभा के आयोजन में विलंब और एमओईएफएंडसीसी को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में विलंब ने ईसी प्राप्त करने में बहुत विलंब किया।

5.3 आवेदन की वर्तमान स्थिति और क्या कंपनी ने उप वन संरक्षक (डीएलएफ), बेल्लारी, द्वारा मांगे गए आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हैं, के बारे में पूछे जाने पर एनएमडीसी ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया:-

> " कंपनी ने 02 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021 और 07 अक्टूबर 2021 को बेल्लारी के डीसीएफ (उप वन संरक्षक) को उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें वैकल्पिक स्थानों का विवरण प्रस्तुत किया गया और वन-भूमि पर परियोजना स्थित होने को उचित ठहराया गया।"

5.4 यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी ने चरण-I वन मंजूरी प्राप्त कर ली है; एनएमडीसी ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया: -

"कंपनी पहले चरण की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और एमओईएफएंडसी द्वारा देखी गई कमियों का उत्तर 20 नवंबर 2021 को सीसीएफ, बेल्लारी द्वारा परिवेश पोर्टल में विधिवत अपलोड कर दिया गया है।"

5.5 सीएंडएजी ने उपरोक्त पर टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि सात साल बीत जाने के बावजूद, कंपनी ने कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान के लिए स्क्रीनिंग संयत्र-II के लिए चरण-1 वन मंजूरी भी प्राप्त नहीं की है।

5.6 यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी को वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त हो गई है। इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 14.12.2021 को साक्ष्य के दौरान निम्न उत्तर दिया :-

"सर, फॉरेस्ट क्लीयरेंस के बाद यह केस सीसीएफ के पास है। इन्होंने हमें बताया था कि पिछले हफ्ते ही इन लोगों की मीटिंग हुई है। इन्होंने टारगेट दिया है कि दिसम्बर अंत तक ये लोग जरूर पूरा कर देंगे।"

5.7 जब समिति ने ध्यान आकृष्ट किया कि विलंब 7-8 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है, तो इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विलंब को स्वीकार किया और निम्नानुसार सूचित किया:-

"..... ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक है और परियोजनाओं की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जा रही है।"

ख. **<u>किरन्दुल कॉम्प्लेक्स में स्क्रीनिंग संयंत्र-III</u>**

5.8 किरन्दुल कॉम्प्लेक्स के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र-III के संबंध में सीएण्डएजी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.4.2 में उल्लेख किया है कि नवंबर 2013 में कंपनी द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त की गई। तथापि, 74.236 हेक्टेयर आवेदित भूमि के स्थान पर ईसी में इंगित 65.936 हेक्टेयर भूमि की त्रुटि कंपनी द्वारा तब तक नहीं देखी गई जब तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा दिसंबर 2016 में इसे स्थापना की मंजूरी जारी करने से पूर्व इस त्रुटि को इंगित नहीं किया गया। कंपनी द्वारा दिसंबर 2016 में एमओईएफएंडसीसी को संशोधित ईसी जारी करने का अनुरोध किया गया जो मार्च 2017 में प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई 2017 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रकार कंपनी की ओर से 38 महीनों (नवंबर 2013 से दिसंबर 2016 तक) का परिहार्य विलंब हुआ।

5.9 जहां तक किरंदुल कॉम्प्लेक्स में स्क्रीनिंग संयत्र-III के लिए निविदा प्रदान करने का संबंध है, जब पूछा गया कि क्या स्क्रीनिंग संयत्र-III की स्थापना के लिए ठेकेदारों को सभी आर्डर दे दिए गए हैं, एनएमडीसी ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया:-

> "किरंदुल की स्क्रीनिंग संयत्र-III परियोजना के लिए कार्य आठ (08) पैकेजों में निष्पादित किया जा रहा है और आज की तिथि तक पांच (05) पैकेज

दिए जा चुके हैं और दो (02) पैकेज जनवरी 2022 तक दिए जाने हैं और अन्य पैकेज अर्थात् 'लोकोमोटिव की खरीद', परियोजना की प्रगति के आधार पर उचित समय पर दिया जाएगा।"

5.10 स्क्रीनिंग संयत्र-III के पूरा होने की निर्धारित तिथि और पूरा होने की निर्धारित तिथि की तुलना में वर्तमान प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, एनएमडीसी ने एक लिखित टिप्पणी के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

"स्क्रीनिंग संयंत्र-।।। का निर्धारित प्रचालन अगस्त, 2024 में होगा और उन्होनें यह भी बताया कि कार्यस्थल विकास तथा जल पैकेज के निर्माण के दौरान एनएमडीसी कठोर चट्टानों की ब्लॉस्टिंग नहीं कर सका क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के प्राधिकारियों ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी। उपर्युक्त को देखते हुए, एनएमडीसी ने ब्लास्टिंग के स्थान पर कड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए महंगे सीमेंट मोर्टार जैसे अन्य साधनों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगा। अत: कार्य में विलम्ब हुआ एवं तदनुसार कार्यस्थल विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए समय अवधि को बढ़ाया गया।"

5.11 उपरोक्त मुद्दों पर सी एंड एजी ने आगे बताया कि स्क्रीनिंग संयंत्र III के लिए जुलाई 2017 में स्थापना के लिए सहमति प्राप्त होने के बावजूद कंपनी ने अभी तक स्क्रीनिंग संयंत्र III के निर्माण के लिए 7 पैकेजों में से 2 पैकेज प्रदान नहीं किए हैं। कंपनी ने ब्लास्टिंग आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने जैसी सरकार के निर्देशों की संभावित आवश्यकताओं और अनुपालन की परिकल्पना नहीं की थी

जिसके कारण और देरी हुई।

5.12 इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान आगे स्पष्ट किया कि:-

"इसके बाद स्क्रीनिंग प्लांट-3 का इश्यू है। उसमें मेन यह था कि यह ब्लास्टिंग से नहीं हो सकता था। इन लोगों ने इस बात का ध्यान दिया। इसमें एक्सपैंसिव सीमेंट मोर्टार प्रोसेस है, उनको इसमें कुछ करना था। इसमें इनलोगों की गलती है। हमने इस बाधा को पार कर लिया है. इन्होंने दो साल का टाइम दिया है। ये वर्ष 2024 तक कम्प्लीट कर लेंगे।"

अध्याय - छह

<u>विविधीकरण क्रियाकलाप</u>

6.1 अपने विविधीकरण अभियान के भाग के रूप में, कम्पनी ने मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में खनन के साथ-साथ इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्र, पैलेट संयंत्र तथा एक स्पंज लौह संयंत्र के अधिग्रहण आदि संबंधी कार्य किया। कम्पनी द्वारा किए गए विभिन्न विविधिकरण कार्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

क. <u>नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना</u>

6.2 सी एंड एजी ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 संबंधी अपने प्रतिवेदन में बताया कि 2004-2020 अवधि के दौरान अनुमानित मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक इस्पात उत्पादन का 7.3 प्रतिशत है । इस्पात मंत्रालय द्वारा 13 मार्च 2008 को आयोजित समीक्षा बैठक में, यह अनुमान लगाया गया कि इसे 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात (ऋण के लिए ₹8,000 करोड़ तथा इक्विटी के प्रति ₹4,000 करोड़) के साथ ₹12,000 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होगी। संयंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के पश्चात्, 13 मार्च 2008 को यह निर्णय लिया गया कि एनएमडीसी अपने पर्याप्त आरक्षित नकद तथा प्राथमिक कच्चे माल अर्थात् लौह अयस्क तक

आसान पहुंच को देखते हुए संयंत्र की स्थापना स्वयं करें। कम्पनी ने 20 मार्च 2008 को मंत्रालय को सूचित किया कि संयंत्र की सम्पूर्ण लागत को इसके आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्णय अनुसार बोर्ड ने परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) बनाने के लिए जुलाई 2008 में परामर्शदाता के रूप में मीकान लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूर किया । दिसम्बर 2008 में मीकान ने टीईएफआर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, मार्च 2009 में कम्पनी ने मौकान द्वारा प्रस्तुत टीईएफआर का यथोचित आकलन करने का कार्य प्राइसवाटरहाउसकूपर्स को दिया जिसने मई 2009 में आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनुसार, जनवरी 2010 में एनएमडीसी बोर्ड ने नगरनार, छत्तीसगढ़ में समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी। सी एंड एजी ने अपने प्रतिवेदन में पाया कि एनएमडीसी इस्पात संयंत्र की स्थापना के क्षेत्र में नई थी और परियोजना के कार्यानवयन में कंपनी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एक बेहतर परिज्ञान और नियंत्रण प्रदान कर सकती थी। डीपीआर सामान्यतः अध्ययनों से प्राप्त डेटा और परिणामों के आधार पर तैयार की जाती है। डीपीआर में सभी मुख्य पहलूओं के विस्तृत विवरण तैयार किये जाते हैं। टीइएफआर और डीपीआर के बीच मुख्य अंतर सटीकता के स्तर और विवरण के स्तर का होता है।

6.3 सी एंड एजी ने अपने प्रतिवेदन के पैरा सं 3.1 में पाया कि कंपनी ने जनवरी 2010 में नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र के संस्थापन के कार्य को आगे बढाया और कंपनी ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार

करने की अपेक्षा तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन (टीईएफआर) में दिए गए संभावित विवरणों के आधार पर विभिन्न पैकेज प्रदान कर दिए। इसके परिणामस्वरूप, आकलन अधोगामी रूप से संशोधित हुऐ तथा निविदाऐं जारी करने के पश्चात तकनीकी आवश्यकताओं में सुधार किऐ गऐ। इससे निविदाकरण और पैकेज प्रदान करने में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना की लागत 43 प्रतिशत बढ़कर ₹15,525 करोड़ से ₹22,196 करोड़ तक पहुँच गई। ₹6,671 करोड़ की लागत वृद्धि में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण हुई ₹3,842 करोड़ की वृद्धि शामिल थी, यदि कंपनी द्वारा डीपीआर तैयार की गई होती तो इसे टाला जा सकता था। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी, यद्यपि मार्च 2014 तक पूरा किया जाना था।

6.4 यह पूछे जाने पर कि क्या नगरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए दिए गए सभी पैकेज पूरे कर लिए गए हैं, एनएमडीसी ने अपने लिखित नोट में निम्नवत् बताया:-

> "अंतिम प्रमुख अवसंरचना पैकेज कार्यकारी निदेशक वर्क्स बिल्डिंग (पैकेज -45) जनवरी 2020 में दिया गया जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 24 महीने (अर्थात्, जनवरी'2023) तक थी । ऐसे ही, सभी दिए गए पैकेज मार्च 2023 तक (परामर्शदाता मैसर्स मेकॉन द्वारा प्रदान किए गए अगस्त, 2021 के पीईआरटी (कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक) नेटवर्क अनुसूची के अनुसार) पूरा कर लिए जाएंगे और कोविड महामारी के कारण पैकेजों को चालू करने में देरी हुई थी। यहां यह उल्लेख करना है कि चालू करने के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी

पैकेज और संबंधित सहायक पैकेज उनके निर्माण के अंतिम चरण पर हैं और विभिन्न उपकरणों का परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा, मेन रिसीविंग स्टेशन (एमआरएस), प्लांट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीपीडीएस) और वाटर पैकेज (17-01 और 17-02) जैसी कई इकाइयां चालू हैं।"

6.5 उपर्युक्त मुद्दे पर सी एंड एजी ने एक लिखित नोट में आगे निम्नवत् बताया:-

"कंपनी को मार्च 2023 तक नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र के सभी पैकेजों के पूरा होने की संभावना है। तथ्य यह है कि परियोजना को मार्च 2014 तक पूरा किया जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।."

6.6 यह पूछे जाने पर कि क्या चूककर्ता ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई शुरू की गई है, एनएमडीसी ने कच्चे माल की प्रबंधन प्रणाली के मुद्दे पर निम्नवत् स्पष्ट किया:-

"मैसर्स भेल (बीएचईएल) को आरएमएचएस (रॉ मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम) पैकेज दिया गया था, जिसकी अवधि 28.02.2014 तक 30 महीने की थी। इसके बाद, मैसर्स टेकप्रो और मैसर्स प्रसाद यांत्रिक, संरचनात्मक और सिविल कार्य के भाग के लिए सीधे भेल द्वारा नियुक्त एजेंसियां थीं, जिन्होंने आरएमएचएस कार्य के समय पर निष्पादन में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप पैकेज में समग्र देरी हुई थी। मैसर्स भेल ने इन एजेंसियों (जोखिम और लागत) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और मैसर्स टेकप्रो एंड मैसर्स प्रसाद के जोखिम और लागत पर अन्य एजेंसियों को काम के अधूरे भाग को सौंप दिया है।

तथापि, चूंकि मैसर्स भेल समय सारिणी के भीतर काम पूरा नहीं कर सका, इसलिए 30.06.2019 तक समय सीमा बढाई गई। चूंकि आरएमएचएस के पूरा होने में देरी हो रही थी, जिससे संयंत्र का प्रचालन प्रभावित हो रहा था, कार्य पूरा करने की दृष्टि से एनएमडीसी द्वारा ठेकेदार यानी मैसर्स भेल के जोखिम और लागत पर एनएमडीसी द्वारा मैसर्स भेल से कार्य वापस ले लिया गया। मैसर्स भेल से कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त करने पर, संविदा 27.08.2019 को बहाल किया गया था और संविदा की बहाली पर, मैसर्स भेल काम की अच्छी प्रगति दिखा रहा था जो महामारी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुआ। वर्तमान में, कोयला, कोक, सिंटर उत्पाद, अयस्क मार्गों का कार्य मैसर्स भेल द्वारा पूरा कर लिया गया है और अन्य मार्ग भी लक्षित संयंत्र प्रचालन अनुसूची के अनुरूप हैं। इसके अलावा, तीसरे पक्ष द्वारा देरी का विश्लेषण भी किया जा रहा है और विलंब के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के पश्चात (लिक्विडेटेड डैमेज) जहां लागू हो एलडी लगाया जाएगा। संविदा की शर्तों के अनुसार, एलडी की किसी भी वसूली को प्रचालन पर प्रदर्शन गारंटी (पीजी परीक्षण), अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र (एफएसी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर ठेकेदार को देय राशि से प्रभावी किया जाएगा और निर्धारित महत्वपूर्ण कार्यों के पूर्व के भुगतानों के चल रहे बिलों से एलडी नहीं वसूल किया जाएगा। तद्नुसार, आज तक कोई वसूली नहीं की गई थी, जो कार्य पूरा होने पर ठेकेदारों की संविदा की शर्तों के अनुसार उपलब्ध देय राशि से लगाई एवं वसूल की जाएगी।"

6.7 सह-उत्पाद संयंत्र के मुद्दे पर, एनएमडीसी ने आगे बताया:-

"सह-उत्पाद संयंत्र पैकेज के कंसार्टियम (संघ) के एक सदस्य मैसर्स बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिबद्धताओं में निरंतर विफलता और खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, एनएमडीसी और मैसर्स बीके के बीच

संविदा को उसके प्रावधान के अनुसार ठेकेदार के जोखिम और लागत पर शेष कार्य को पूरा करने की दृष्टि से दिनांक 13.10.2020 को रद्द किया । इसके बाद, बीके के शेष कार्य को पूरा करने के लिए एनएमडीसी द्वारा मेकॉन की सेवाएं ली गई हैं और कार्यस्थल का कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है।"

6.8 जब लाइम और डोलोमाइट कैल्साइन्ड संयंत्र के मुद्दे पर विस्तार से बताने के लिए कहा गया, एनएमडीसी ने लिखित नोट के माध्यम से निम्नानुसार बताया:-

"शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यस्थल प्रगति के संबंध में प्रतिबद्धताओं में निरंतर विफलता को देखते हुए, एनएमडीसी और मैसर्स सिनोकैल्सी, चीन (लीडर) और इसके संघ(कंसार्टियम) के बीच संविदा को उसके प्रावधान के अनुसार ठेकेदार के जोखिम और लागत पर शेष कार्य को पूरा करने की दृष्टि से दि. 06.11.2020 को समाप्त कर दिया गया है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सक्षम एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया एनएमडीसी द्वारा की जा रही है।"

6.9 चूंकि केवल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) में दिए गए अनुमानित विवरण के आधार पर, न कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर प्राक्कलनों को संशोधित कर बढ़ाया गया और निविदाओं के जारी होने के बाद तकनीकी विशिष्टताओं को संशोधित किया गया, समिति जानना चाहती है कि क्या कंपनी के लिए 23,140 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान में पूरी परियोजना को पूरा करना संभव हो सकेगा। इस्पात मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मूल परियोजना लागत और 23,140 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को तैयार करने वाले सलाहकार मेकॉन ने पुष्टि की है कि संशोधित परियोजना लागत इस्पात संयंत्र परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा, एनएमडीसी बोर्ड ने 27.08.2020 को हुई अपनी बैठक में

सीजीएचबी के माध्यम से टाउनशिप के निर्माण के लिए 23,140 रुपये की अनुमानित लागत में से 1200 करोड़ रुपये को हटा दिया है और इस प्रकार परियोजना की अनुमानित लागत 21,940 करोड़ रुपये (इस्पात संयंत्र का डीमर्जर/विनिवेश के वर्तमान प्रक्रिया को देखते हुए) हो गई है ।

6.10 जब उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या एनएमडीसी विभिन्न परियोजनाओं की निविदा की घोषणा करने से पहले समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं कर पाई थी, कंपनी ने लिखित नोट के माध्यम से निम्नानुसार बताया:-

> "एनएमडीसी ने मैसर्स मेकान को विश्वसनीय तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था जिसमें परियोजना की पूंजीगत लागत के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं के व्यापक दायरे का सुझाव दिया गया था (चौथी तिमाही, 2008)। टीईएफआर (तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) को सावधानी पूर्वक देखने का कार्य मैसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा किया गया था। और एनएमडीसी के निदेशक मंडल ने जनवरी 2010 को नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश को मंजूरी दी। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आकलन, उत्पाद मिश्रण के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन के साथ परियोजना के ढांचे की अवधारणा प्रदान करती है। सुविधाओं का व्यापक मूल्यांकन - तकनीकी और सेवाओं दोनों, सामग्री की तैयारी, भूमि, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे, काम की मात्रा का अनुमान। टीईएफआर (तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) की तैयारी के समय प्रचलित कीमतों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण सहित समय सारिणी और लागत भी प्रदान करता है। यह रिपोर्ट निधि जुटाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निवेश सम्बंधी

निर्णय लेने का आधार प्रदान करती है। आम तौर पर, सभी निवेश प्रस्तावों के लिए, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की जाती है और सलाहकार लागत प्रभावी योजना पर पहुंचने के लिए तकनीकी-आर्थिक के माध्यम सभी विकल्पों की खोज करता है। परियोजना के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन / निवेश निर्णय प्राप्त करने के बाद, परियोजना कार्यान्वयन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए समय, संसाधन और कार्यप्रणाली की विस्तृत योजना सलाहकार द्वारा शुरू की जाती है। इसके बाद, तकनीकी विशिष्टता की तैयारी के दौरान, विस्तृत अभियांत्रिकी के आधार पर समस्त कार्य हेतु सभी विवरण को निर्धारित किया जाता है और टीईएफआर (तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) में विचार किए गए कार्य में से कुछ कार्य/सुविधाओं को जोड़े/हटाए जाते हैं। सांविधिक और लेआउट आवश्यकता आदि के रूप में बेहतर संचालन, रखरखाव के लिए बोलीदाताओं / प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ निविदा चर्चा चरण के दौरान भी कुछ कार्य/सुविधा को जोड़े/हटाए जाते हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि सेल के विभिन्न संयंत्रों (बीएसपी, आरएसपी, डीएसपी) के लिए तकनीकी-आर्थिक भागों को कवर करने वाली समग्र व्यवहार्यता रिपोर्ट भी उनके सलाहकार मेकॉन द्वारा तैयार की गई थी। इस प्रकार टीईएफआर पर आधारित परियोजनाओं के अनुमोदन की पद्धति है और एनएमडीसी में भी इसका पालन किया गया था। इस प्रकार नगरनार में एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के मामले में डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार नहीं की गई थी और इस्पात संयंत्र के विभिन्न पैकेजों की निविदा प्रक्रिया शुरू करने से बहुत पहले टीईएफआर तैयार किया गया था।"

6.11 उपरोक्त के क्रम में, लेखापरीक्षा ने आगे निम्नवत बताया:-

"विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करने के कारण विभिन्न पैकेजों के

तकनीकी विनिर्देशों में संशोधन किया गया/जोड़ा/हटाया गया, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, अतिरिक्त पैकेजों में वृद्धि हुई जिसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिकल्पना नहीं की गई थी। इससे मूल रूप से स्वीकृत लागत 15,525 करोड़ रुपये की तुलना में परियोजना लागत बढ़कर 23,140 करोड़ रुपये हो गई।"

6.12 इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 14 दिसंबर 2021 को समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान इसी मुद्दे पर निम्नानुसार बताया:-

"नगरनार स्टील प्लांट में टेस्ट ऑडिट का मुख्य टिप्पणी है कि हम लोगों ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर निवेश कर दिया है, हम लोगों ने डीपीआर का वेट नहीं किया है। यह बात सही है कि जो इंवेस्टमेंट वर्ष 2010 में हुआ है, वह तकनीकि आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। अभी इस का विनिवेश का प्रक्रिया है और डिमर्जर का कार्य चल रहा है। अभी डिमर्जर का समानांतर कार्य चल रहा है, इस में हम लोगों के तीन पैकेज थे। नगरनार स्टील प्लांट का काम में विलंब हुआ है। इनके कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली को बीएचईएल देख रहा है। दूसरा, सह-उत्पाद संयंत्र जिसको बी.के. कंपनी देख रही है। तीसरा, इनका चूने और कैल्सीफिकेशन संयंत्र है। ये तीन प्लांट्स हैं। सीएमडी ने आपको सूचित किया होगा। इसमें हम लोगों को मिनिस्ट्री के लेवल पर इतना इंवाल्व होना पड़ा है, कि आम तौर पर, हम लोग वाणिज्यिक निर्णय और वाणिज्यिक गतिविधियों में नहीं करते हैं। हम लोग नियमित बैठक करते हैं। वास्तव में, हम लोगों ने ठेकेदारों के साथ बैठक करके हमने उन्हें कार्य के लिए मना लिया है. हम बहुत आशान्वित हैं कि मार्च 2023 में नगरनार स्टील प्लांट की निश्चित रूप से कमीशनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।"

ख . <u>स्पॉन्ज आयरन इंडिया लिमिटेड, पलोंचा, तेलंगाना</u>

6.13 पैरा 3.4 में सी एंड एजी बताया कि कंपनी ने जुलाई 2010 में घाटे में चल रही स्पॉन्ज आयरन इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया। स्पॉन्ज आयरन का उत्पादन उच्च उत्पादन लागत के कारण अलाभकारी हो गया और 31 मार्च 2017 तक स्पॉन्ज आयरन यूनिट (एसआईयू) को ₹194.77 करोड़ का घाटा हुआ। कंपनी ने अपनी कायापलट (टर्न अराउन्ड) योजना (01 अक्तूबर, 2015) में उत्पादन लागत में कमी और ताप तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, जो अभी स्थापित नहीं किए गए गए है, के लिए उपलब्ध भूमि 428.98 एकड़ के उपयोग के लिए एक अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने परिकल्पित कायापलट योजना को क्रियान्वित नहीं किया है, जैसा कि किया जाना था और जुलाई 2017 तक यूनिट के निष्क्रिय स्टाफ (कार्यकारी और अकार्यकारी दोनों) की संख्या 167 थी।

6.14 जब उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या कंपनी द्वारा कायापलट योजना कार्यान्वित की गई थी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; तो एनएमडीसी ने लिखित उत्तर के माध्यम से निम्नानुसार बताया:-

> "प्रारंभ में 2015 में एक व्यावसायिक विकल्प के रूप में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया था लेकिन प्रस्ताव को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि तेलंगाना 2017 में एक बिजली अधिशेष राज्य बन गया। वर्ष 2018 में मैसर्स एमएन दस्तूर एंड कंपनी को स्पंज आयरन यूनिट में 1.5 एमटीपीए / उपयुक्त क्षमता वाले इस्पात संयंत्र अथवा अन्य व्यावसायिक विकल्प की स्थापना हेतु पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए

नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने सुझाव दिया था कि इस्पात व्यवसाय में विविधिकरण अधिक लाभदायक विकल्प होगा और एनएमडीसी के लिए बेहतर भविष्य के विकल्प के रूप में सीआरएम कॉम्प्लेक्स और ईआरडब्ल्यू पाइप मिल की स्थापना हेतु संस्तुति की थी। एसआईयू में कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम) कॉम्प्लेक्स और ईआरडब्ल्यू पाइप संयंत्र की स्थापना के लिए टीईएफआर की तैयारी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के प्रस्ताव पर आंतरिक रूप से विचार-विमर्श किया गया था क्योंकि हम इस्पात संयंत्र के विनिवेश के लिए विचार कर रहे हैं। आगे डाउनस्ट्रीम और मूल्य वर्धित उत्पाद में और निवेश पर विचार नहीं किया गया।"

6.15 इसके अलावा, सी एंड एजी ने देखा कि वर्ष 2010 के दौरान जब संयंत्र का विलय किया गया था तब संचित हानि 29.14 करोड़ रुपये थी जो 31 मार्च 2021 तक 273.69 करोड़ रुपये हो गई। यह पूछे जाने पर कि क्या स्पंज आयरन यूनिट, पलोंचा में उपलब्ध भूमि के वैकल्पिक उपयोग के लिए कोई और प्रयास किए गए थे और क्या संयंत्र को चलाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की पहचान की गई है, एनएमडीसी ने लिखित उत्तर के माध्यम से निम्नानुसार बताया:-

"हां, सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रयास किया गया था। इसकी आगे जांच की जा रही है। परिसंपत्ति का उपयोग करने और इस्पात उद्योग की खपत के लिए स्पंज आयरन का उत्पादन करने हेतु प्रचालन के लिए एसआईयू को पट्टे पर देने हेतु इच्छुक फर्मों की पहचान के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की कार्रवाई प्रारंभ की गई । कई बार समय विस्तार के बावजूद, उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए वर्तमान में संयंत्र के प्रचालन के अन्य प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा

रहा है।"

6.16 जब 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ के वेतन और मजदूरी, रखरखाव, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय आदि के लिए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो एनएमडीसी ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी प्रदान की : -

"एसआईयू पलोंचा में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ के रखरखाव, वेतन और मजदूरी, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय आदि के लिए व्यय निम्नानुसार हैं: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मरम्मत और रखरखाव	कर्मचारी लाभ व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
2018-19	1.01	27.18	2.68	34.20
2019-20	0.78	22.48	2.51	35.08
2020-21	1.44	15.90	2.24	20.72

6.17 उपर्युक्त के संबंध में, साक्ष्य के दौरान इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिये:-

"एनएमडीसी ने इसको वर्ष, 2010 में शुरू किया था, तो इन्होंने आशा नहीं की थी कि उत्पादन की उच्च लागत के इतना अलाभकारी हो जाएगा। वहां पर इन्होंने एक ताप सयंत्र और सौर सयंत्र स्थापित करने की एक कायाकल्प योजना बनाई थी। फिर, तेलंगाना सरकार ने कहा कि उनके पास विद्युत अधिशेष है, तब उन्हें वहां पर वह बंद करना पड़ा। उसके बाद ये वहां पर कोल्ड रोलिंग मील लगाने जा रहे थे, तो वह भी ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि यह बोर्ड द्वारा तय किया गया था कि जब आप एक इस्पात सयंत्र को बेच रहे हैं, तो दूसरे इस्पात सयंत्र में एंटर नहीं करिए, तो इनको रोक दिया गया। अब इन्होंने इसको बेचने के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति' निकाली है। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको जितना भी मोनेटाइज़ कर सकें।"

अध्याय - सात

संयुक्त उद्यमों में रणनीतिक निवेश

क. इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड में निवेश

7.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन के पैरा 4.4 में यह टिप्पणी की कि एनएमडीसी ने विदेशों से मेटलर्जिकल कोकिंग कोल और थर्मल कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मई, 2009 में एक विशेष उद्देश्य वाली कंपनी (एसपीवी) नामतः इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) की स्थापना की गई जिसमें एनएमडीसी लिमिटेड भी भाग लेने वाले कोयला और इस्पात पीएसयू में से एक था। जुलाई 2014 में, आईसीवीएल ने मोजामबीक में स्थित कोयला खान और कोयला आस्तियों में रियो टिंटो पीएलसी, यूके के एक भाग का स्वामित्व प्राप्त करने का निर्णय किया। घाटे में चल रही मोजामबीक खनन आस्तियों के अधिग्रहण के लिए आईसीवीएल की गलत/अनुचित और अव्यावहारिक व्यापार योजना पर विश्वास करके कंपनी द्वारा 376.36 करोड़ रुपये (जिस पर अभी तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ) किया गया निवेश विवेकपूर्ण नहीं था। एनएमडीसी का यह दावा कि मोजामबीक में कम लागत प्रचालन व्यवहार्य होगा, आंतरिक समिति की इस टिप्पणी के विपरीत था कि परियोजना अंतर्राष्ट्रीय मेट-कोल उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थक में गिर रही है। टाटा स्टील के सलाहकार (रियो टिंटो कोल मोजामबीक (आरटीसीएम) में संयुक्त उद्यम भागीदार) की रिपोर्ट

ने इस तथ्य की पुष्टि की कि आस्ति अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों की तुलना में एक निराशाजनक स्थिति में थी।

7.2 यह पूछे जाने पर कि क्या पहले से ही निवेश किए गए 376.36 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड में कोई और निवेश किया गया था, एनएमडीसी ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी: -

> "एनएमडीसी ने नकद मांग पत्र सं. आईसीवीएल/सीएस/2019/13 दिनांक 5 सितंबर 2019 और अनुस्मारक पत्र संख्या आईसीवीएल/सीएस/कैश कॉल/2021 दिनांक 3 अगस्त 2021 के माध्यम से 2,50,22,620 रुपये (दो करोड़ पचास लाख बाईस हजार छह सौ बीस मात्र) का आईसीवीएल इक्विटी अंशदान प्रेषित किया। आईसीवीएल द्वारा यह नकद मांग आईसीवीएल (इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड) के व्यय बजट को पूरा करने और बकाया देनदारियों को चुकाने के लिए किया गया था क्योंकि किसी अन्य आय के अभाव में आईसीवीएल का व्यय शेयरधारकों के इक्विटी अंशदान से पूरा किया जाता है।

7.3 यह स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर कि क्या इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक किसी भी संचित घाटे को समाप्त कर सकता है, एनएमडीसी ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की: -

"आईसीवीएल के समेकित वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
प्रतिधारित अर्जन	(47082.70)	(62520.90)	(53137.56)
चालू देयताएं	30425.44	29726.44	28142.40
चालू परिसंपत्तियां	19567.34	6927.00	8353.37
वर्ष की लाभ/हानि	15438	(9383.34)	(11421.48)
निवल मूल्य	227610.01	236982.21	215609.71

मिनास डी बेंगालिमिटाडा (एमबीएल) के रूप में पंजीकृत मोजामबिक कोयला खान के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2021 को संचित हानि 998,638,604 अमेरिकी डॉलर था। और इन हानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रियो टिंटो और टाटा द्वारा खान के विकास, कोल हैंडलिंग तथा प्रिपरेशन संयंत्र (सीएचपीपी) के निर्माण, रोलिंग स्टॉक की खरीद, ग्रामीण पुनर्वास, रेल और पोतपत्तन बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान संचित हानि पुन: बढ़ गई क्योंकि एमबीएल में 2020-21 में ऋणात्मक ईबीआईडीटीए था, इसलिए किसी भी संचित हानि को कम नहीं किया जा सका।"

7.4 यह पुछे जाने पर कि क्या 2017-18 और 2018-19 के दौरान इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड से कोई प्रतिलाभ प्राप्त हुआ था क्योंकि उसके पास अधिशेष परिचालन थे?, एनएमडीसी ने एक लिखित नोट में निम्न प्रकार स्पष्ट किया: -

"एनएमडीसी को 2017-18 और 2018-19 के दौरान अपने निवेश पर कोई वित्तीय प्रतिलाभ नहीं प्राप्त हुआ। एनएमडीसी ने आईसीवीएल (इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड) में अपने निवेश का अपनी बहियों में कोई हानि या लाभ दर्ज नहीं किया। एनएमडीसी के 376.36 करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में आईसीवीएल में एनएमडीसी की निवल संपत्ति में हिस्सेदारी को देखते हुए आईसीवीएल में एनएमडीसी का निवेश 590.51 करोड़ रुपए है।"

7.5 उपर्युक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा में निम्नानुसार टिप्पणी की गई:-

"कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि बेंगा खान के प्रचालन मे ऋणात्मक मार्जिन था। इसके अलावा, आईसीवीएल की स्थापना का उद्देश्य अर्थात भारत में कोकिंग कोल का आयात भारी निवेश के बावजूद नहीं हुआ। 2021 में कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है।"

ख. <u>लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया में निवेश</u>

7.6 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 4.5 में यह पाया था कि कंपनी ने लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया में 50 प्रतिशत शेयरों

का अधिग्रहण (मई, 2011) करने का निर्णय लिया ताकि लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित खनन टेनमेंट्स पर प्रबंधन नियंत्रण सुरक्षित किया जा सके। कंपनी ने लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड में कुल 168.53 करोड़ रुपए (31.01 मिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर) का निवेश किया, इस तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु नियुक्त सलाहकार ने कहा था कि यह एक ऋणात्मक निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) परियोजना थी तथा लघु से मध्यम अवधि में यह एक मार्जिनल आस्ति थी। लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड का शेयर मूल्य 6.55 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर के प्रारंभिक अधिग्रहीत मूल्य से घटकर 0.30 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर (3 नवंबर 2017) हो गया। इसके कारण कंपनी द्वारा किए गए निवेश का मूल्य भी 168.53 करोड़ रुपए से घटकर ₹17.13 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त कंपनी वर्ष 2030 तक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए व्यय के अलावा टेनमेंट्स को बनाए रखने हेतु वार्षिक 89.67 लाख रुपये व्यय करने हेतु बाध्य थी ।

7.7 परियोजना पर परामर्शदाता की नकारात्मक राय के बावजूद संयुक्त उद्यम में निवेश करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर एनएमडीसी ने निम्नानुसार एक लिखित नोट प्रस्तुत किया: -

"मैसर्स मैकिंजी एंड कंपनी ने कंपनी पर कोई नकारात्मक राय नहीं दी है। हालांकि, उन्होंने यह राय दी थी कि माउंट बेवन लौह अयस्क परियोजना एक मार्जिनल आस्ति है और एनएमडीसी के लिए यह दीर्घकाल में अर्थात

2030 के बाद यह महत्वपूर्ण संभावना वाली हो सकती है साथ ही यह भी बताया कि आस्तियों की संख्या को कम किया जाए और संभावनाओं वाली कुछ आस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए । तदनुसार, लेगसी ने अपनी स्वर्ण आस्तियों अर्थात माउंट सेलिया में अन्वेषण और आगे का अध्ययन किया और सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माउंट बेवन को भविष्य के लिए रखा गया तथा वर्तमान में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हैनकॉक मैग्नेटाइट प्रो. लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर बातचीत की जा रही है।"

7.8 उपर्युक्त के विपरीत, सीएंडएजी ने आगे टिप्पणी की: -

"उत्तर सही नहीं है क्योंकि यह 18.03.2014 को आयोजित एनएमडीसी की 473वीं बोर्ड बैठक के कार्यवाही सारांश में दर्ज किया गया था कि मैकिन्से एंड कंपनी ने उल्लेख किया है कि माउंट बेवन लघु से मध्यम अवधि में एक मार्जिनल आस्ति है। अधिकांश अग्रगामी परिदृश्यों में माउंट बेवन अगले 8 से 10 वर्षों में एक नकारात्मक एनपीवी परियोजना है।"

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

क. सिंहावलोकन

1. एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सीपीएसयू है। यह भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे नवंबर 1958 में देश में खनिज संसाधनों की खोज के मुख्य उद्देश्य के लिए निगमित किया गया था। कंपनी को दुनिया में लौह अयस्क के कम लागत वाले उत्पादकों में से एक माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला सेक्टर में किरंदुल (3 खदानें), बचेली (2 खदानें) और कर्नाटक के बेलारी जिले में डोनिमलाई (2 खदानें) में स्थित अपनी अत्यधिक मशीनीकृत खुली खदानों के माध्यम से लौह अयस्क का उत्पादन करता है। 2021-22 के दौरान कंपनी का उत्पादन 42.19 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) था। लौह अयस्क के उत्पादन के अलावा, कंपनी ने कई व्यापार विविधीकरण पहल की हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ के नगरनार में एक इस्पात संयंत्र और एक रक्षित कैप्टिव बिजली संयत्र की स्थापना; पलोंचा, तेलंगाना में स्पंज आयरन इकाई का अधिग्रहण; डोनिमलाई, कर्नाटक में पेलेट संयंत्र की स्थापना आदि। कंपनी ने इस्पात संयंत्रों की स्थापना और कोयला और लौह अयस्क खानों के विकास के लिए भारत और विदेशों में केंद्र/राज्य

सरकार के उपक्रमों और निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में भी निवेश किया है। एनएमडीसी मध्य प्रदेश के पन्ना में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरे की खान का भी संचालन करता है। 'एनएमडीसी लिमिटेड के परिचालन कार्य निष्पादन' पर सी एंड एजी की 2019 की कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन, निकासी और बिक्री, व्यापार विविधीकरण गतिविधियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जांच-परिणाम मुख्यत एनएमडीसी से संबंधित हैं (i) विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदाताओं द्वारा दी गई व्यवसायिक सलाह को उचित महत्व नहीं देना जिसके परिणामस्वरूप उन परियोजनाओं में परिहार्य विलंब, समय और लागत में वृद्धि होती है, (ii) पहले से उचित सावधानी नहीं बरतना जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कार्य पैकेजों के कार्यान्वयन में विलंब होता है, (iii) इसके उत्पादन से मेल करती हुई नई विपणन रणनीतियों और ग्राहकों को न जोड़ना। (iv) विभिन्न परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्राप्त करने में परिहार्य विलंब, (v) दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियों पर एनएमडीसी द्वारा ध्यान न दिए जाने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हुई, (vi) परियोजनाओं को बनाते समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के बजाय तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन (टीईएफआर) पर बहुत अधिक निर्भर रहना जिससे परियोजना के

चालू होने में और लागत में वृद्धि हुई। (vii) गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, आदि। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन की जांच की और इसकी टिप्पणियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों के अनुरूप हैं जिन्हें आगामी पैराओं में विस्तार से बताया गया है।

ख. <u>रणनीतिक प्रबंधन योजना में अवास्तविक लक्ष्य का निर्धारण - विजन 2025</u>

2 समिति ने पाया कि एनएमडीसी के पास वर्ष 2009-10 तक एक कॉर्पोरेट योजना थी। इसके बाद, वर्ष 2015-16 तक कोई कॉर्पोरेट योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, उत्पादन और अन्य लक्ष्य वार्षिक रुप से तय किए गए थे। 27 अक्टूबर 2014 को आयोजित एक समीक्षा बैठक में, प्रशासनिक मंत्रालय ने एक विजन दस्तावेज 'एनएमडीसी 2025' तैयार करने का सुझाव दिया था क्योंकि कंपनी ने 2018-19 तक 75 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) और 2021-22 तक 100 एमटीपीए का उत्पादन करने का लक्ष्य था। इसके बाद, जनवरी 2015 में, विजन दस्तावेज़ में इच्छित उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एनएमडीसी द्वारा 0.57 करोड़ रुपये के शुल्क पर एक सलाहकार, अर्थात् मैसर्स एक्सेंचर को नियुक्त किया गया था। सलाहकार ने मई 2015 में घरेलू बाजार में मौजूदा ग्राहकों, निर्यात की संभावित मात्रा और कैप्टिव खपत का आकलन करने के बाद

सुझाव दिया कि 75 एमटीपीए और 100 एमटीपीए के उत्पादन का उद्देश्य प्राप्त करना कठिन होगा। फिर भी, एनएमडीसी ने अक्टूबर 2015 में सलाहकार की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपनी रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) विजन 2025 में 2018-19 तक 75 एमटीपीए और 2021-22 तक 100 एमटीपीए का अति-महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। हालांकि, बाजार की कमजोर स्थिति, अंतरराष्ट्रीय लौह अयस्क कीमतों में गिरावट को भांपते हुए एनएमडीसी ने सितंबर 2016 में अपने एसएमपी-विजन 2025 पर फिर से विचार किया और लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य को घटाकर 2018-19 के लिए 50 एमटीपीए और 2021-22 के लिए 67 एमटीपीए कर दिया। समिति ने पाया कि यह घटाया गया लक्ष्य भी अधिक था और एनएमडीसी वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, जो क्रमशः 32.36, 31.49 और 34.15 एमटीपीए पर रहा। इस्पात मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य को घटाकर 47 एमटीपीए कर दिया। समिति ने नोट किया कि इस चरण पर भी एनएमडीसी द्वारा 47 एमटीपीए के घटाए गए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और कंपनी 2021-22 के दौरान केवल 42.19 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन कर सकी। समिति को समझ में नहीं आता कि एनएमडीसी ने उस सलाहकार के सुझावों को क्यों नजरअंदाज कर दिया, जिसे उसने 0.57 करोड़ रुपये का शुल्क अदा किया, जिसे फिजूलखर्ची माना जा सकता है, जो अब जनता के पैसे का विवेकहीन व्यय प्रतीत होता है। समिति की राय में एनएमडीसी द्वारा विभिन्न

चरणों में निर्धारित लक्ष्य, बाजार की प्रतिकूल स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क मूल्यों में गिरावट, विभिन्न रेल लाइनों के दोहरीकरण से संबंधित अधूरी परियोजनाओं, नए संभावित ग्राहकों को खोजने में असमर्थता, कुछ देशों के साथ दीर्घकालिक समझौतों की समाप्ति, विभिन्न पैकेजों के कार्यान्वयन और वृद्धि सुविधाओं में विलंब आदि को ध्यान में रखते हुए अति महत्वाकांक्षी और तर्कहीन थे। स्थिति की समग्र समीक्षा पर, समिति ने नोट किया कि एनएमडीसी द्वारा 2021-22 तक प्राप्त किए जाने वाले 100 एमटीपीए के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले, कंपनी अंततः केवल 42.19 एमटीपीए उत्पादन प्राप्त कर सकी। समिति का सुझाव है कि एनएमडीसी को परामर्शदाताओं द्वारा समय पर दी गई पेशेवर सलाह पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और भविष्य में विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करते समय उचित यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए।

ग. <u>भंडार-11ख खान के विकास के लिए पैकेजों के कार्यान्वयन में विलंब</u>

3. समिति ने नोट किया कि बैलाडीला सेक्टर के भंडार 11 ख खान छत्तीसगढ़ के किरनदुआल में स्थित है। जुलाई, 2005 में एनएमडीसी ने मेकॉन लिमिटेड को अभियांत्रिकी, संविदा अधिप्राप्ति सेवाएं एवं परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण प्रबंधन सेवा (ईपीसीएम) संविदा प्रदान किया ताकि खान से लौह अयस्क के 7 एमपीटीए उत्पादन को पूरा करने के लिए 35 माह के भीतर अर्थात जून, 2008 तक भंडार 11ख खान के विकास के लिए पैकेज कार्यान्वित किए जा सकें। समिति यह जानकार स्तब्ध है कि खान का विकास मार्च 2022 तक भी अधूरा रहा, जिसके

परिणामस्वरूप भंडार 11 ख खान ने 2018-19 के दौरान केवल 2.20 एमटीपीए, 2019-20 के दौरान 3.99 एमटीपीए और 2020-21 के दौरान 4.49 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन किया, जबकि जून 2008 तक 7 एमपीटीए का अपेक्षित उत्पादन लक्ष्य हासिल किया जाना था। इसके अलावा, पैकेज का एक हिस्सा रहे स्क्रीनिंग प्लांट III का निर्माण और शुरू किया जाना बाकी था जिसके बिना भंडार 11बी खान में 7 एमटीपीए का पूर्ण उत्पादन संभव नहीं हो सकता था। एनएमडीसी ने इस देरी के लिए पैकेज III (अर्थ वर्क्स) में सॉइल नेलिंग तकनीक से ग्राउटेड नेलिंग तकनीक में बदलाव और साइट की स्थिति, डिजाइन में बदलाव, ड्राइंग्स की मंजूरी, स्थानीय गड़बड़ीयां, ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों और सामग्री की अपर्याप्त परिनियोजन आदि को जिम्मेदार ठहराया। आश्चर्य की बात है कि एनएमडीसी ने विलंब के लिए परिनिर्धारित हर्जाना (एलडी)/जुर्माना लगाने की बात कही, लेकिन जांच के दौरान लेखापरीक्षा दल को कुछ पैकेजों में ठेकेदार/परामर्शदाता पर लगाए गए पैकेज-वार एलडी/जुर्माने का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। एनएमडीसी ने देरी के लिए जिम्मेदार अपने कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेखापरीक्षा दल को नहीं दी। समिति ने पाया कि कंपनी की तकनीकी शाखा द्वारा गंभीर चूक की घटनाएं जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहना या ठेकेदारों को पैकेज सौंपने से पहले यथोचित सावधानी न बरतने के परिणामस्वरूप 14 वर्षों से अधिक की देरी हुई, जिससे कंपनी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समिति का मानना है कि यदि समुचित सावधानी बरती गई होती और ड्राइंग्स को समय पर प्रस्तुत न करने वाले

अधिकारियों, गलती करने वाले ठेकेदारों/परामर्शदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती, तो इतने वर्षों की देरी और कंपनी के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता था। समिति आशा करती है कि एनएमडीसी बिना देर किए स्क्रीनिंग प्लांट III के कार्य को समय से पूरा करने के लिए भरपुर प्रयास करेगा और 11बी खान से 7 एमटीपीए का लक्षित उत्पादन प्राप्त कर लिया जाएगा।

घ. <u>कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के माध्यम से विकास और उत्पादन के लिए पैकेजों के निष्पादन में देरी</u>

4. कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है और 2018-19 तक 7 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन करने का अनुमान था। लेखा परीक्षा निष्कर्षों के अनुसार, केआईओपी को पूरा करने के लिए संशोधित कार्यक्रम मार्च 2012 था, लेकिन परियोजना मार्च 2018 तक भी अधूरी रही। समिति ने पाया कि यद्यपि कुछ पैकेज चालू कर दिए गए थे, लेकिन एप्रोच रोड वर्क्स जैसे कुछ महत्वपूर्ण पैकेज अभी भी अधूरे थे और स्क्रीनिंग प्लांट II एवं रेलवे यार्ड के साथ लोडिंग प्लांट के अस्तित्व में न होने के कारण एनएमडीसी को खनन की आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ा जो पर्यावरण के अनुकूल कदम नहीं था। कंपनी ने 2020-21 के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3.82 एमटीपीए और विभागीय उत्पादन के माध्यम से 3.18 एमटीपीए का उत्पादन किया था, जबकि पूरे 7 एमटीपीए या लौह अयस्क उत्पादन को विभागीय उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और

समिति को दिए गए इस गलत उत्तर से समिति नाखुश थी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा कंपनी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस्पात मंत्रालय इस बात से सहमत था कि टिपर्स के माध्यम लौह अयस्क की ढुलाई ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना पर्यावरण अनुकूल नहीं था और वैधानिक मंजूरी प्राप्त नहीं होने के कारण स्क्रीनिंग प्लांट II भी अधूरा था और इस कारण केआईओपी अनुमान के अनुसार काम नहीं कर सका। समिति ने सिफारिश की है कि एनएमडीसी द्वारा वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज किए जाएं ताकि स्क्रीनिंग प्लांट II जो 14 वर्षों से अधिक समय से विलंबित है, शुरू हो सके और केआईओपी अपनी गतिविधियों को आउटसोर्सिंग के बजाय विभागीय उत्पादन द्वारा पूर्ण रूप से शुरू कर सके।

ङ. <u>जगदलपुर से किरंदुल के बीच और जगदलपुर से अंबागांव के बीच किरंदुल-कोठावालासा (केके) रेलवे लाइन के दोहरीकरण से संबंधित कार्य में देरी</u>

5. समिति ने नोट किया कि अनुमानित उच्च उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निकासी सुविधा को बढ़ाने के लिए एनएमडीसी ने दो परियोजनाएं शुरू कीं - (i) केके रेलवे लाइन के जगदलपुर से किरंदुल खंड के 150.45 किमी का दोहरीकरण और(ii) जगदलपुर और अम्बागांव के बीच 25 किमी रेल लाइन खंड का दोहरीकरण। पहली परियोजना में एनएमडीसी ने 2011-12 में 826.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ दिसंबर 2012 में रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में दिसंबर 2015 में

संशोधित कर 1160.83 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि अगस्त 2018 तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कार्य को पूरा किया जा सके। हालांकि दोहरीकरण का काम निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप निकासी सुविधा में वृद्धि नहीं की जा सकी। समिति को दिसंबर 2021 के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार, जगदलपुर-किरंदुल खंड के 150 किलोमीटर में से लगभग 85 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और शेष 65 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। दूसरी परियोजना में, जगदलपुर और अंबागांव के बीच 25 किलोमीटर के रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण के कार्य को रेल मंत्रालय के साथ एनएमडीसी द्वारा अगस्त 2016 में लिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नगरनार में लगने वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) के कारण यातायात में अनुमानित दो गुना वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करना था। समझौते के अनुसार, परियोजना को जनवरी 2019 तक पूरा किया जाना था। समिति यह जानकर निराश है कि इस परियोजना में अब तक केवल 50 प्रतिशत ही वास्तविक प्रगति हुई है। एनएमडीसी ने परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए दूरस्थ स्थानों में उग्रवादी समस्याओं, भूमि विपथन मुद्दों , वन मंजूरी में देरी आदि मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया। समिति ने पाया कि पहली परियोजना में देरी के कारण परियोजना में लागत वृद्धि के कारण सरकारी खजाने को 334.26 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा है। हालांकि, समिति को यह जानकर खुशी हुई है कि रेल मंत्रालय द्वारा की गई नियमित निगरानी के अलावा दोनों परियोजनाओं की निगरानी अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा हर महीने 'प्रगति' पोर्टल के

माध्यम से भी की जा रही है। समिति आशा करती है कि केके रेलवे लाइन परियोजनाओं के दोहरीकरण कार्य बिना किसी और विलंब के पूरा हो जाएगा और कंपनी द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुमानित निकासी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा।

च. <u>बढ़े हुए उत्पादन को पूरा करने के लिए ग्राहक आधार बढ़ाना</u>

6. समिति ने पाया कि एनएमडीसी अपने दो क्षेत्रों से उत्पादित लौह अयस्क की बिक्री करती है अर्थात् (i) बैलाडीला सेक्टर और (ii) डोनिमलाई सेक्टर। कंपनी मुख्य रूप से बैलाडीला क्षेत्र में अंतिम उपयोग वाले संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते (एलटीए) के माध्यम से अपने लौह अयस्क बेचती है। एनएमडीसी के पास बैलाडीला क्षेत्र से लौह अयस्क की बिक्री के लिए वर्तमान में लगभग 85 लौह और इस्पात संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते (एलटीए) है जिसमें एकीकृत इस्पात संयंत्र, द्वितीयक इस्पात उत्पादक, पेलेट्स और स्पंज विनिर्माता शामिल हैं। एनएमडीसी ने दिसंबर 2021 में बताया कि वर्तमान में बैलाडीला क्षेत्र से लगभग 40 से 50 एमटीपीए की लौह अयस्क की पंजीकृत मांग थी और वर्ष 2024-25 तक लौह अयस्क की 67 एमटीपीए बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण से समिति ने पाया कि 03 वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात 2018 से 2020-21 तक आवंटित कुल लौह अयस्क की मात्रा और निकासी किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा हमेशा आवंटित मात्रा से 10 से 11 एमटीपीए कम थी, जिसका अर्थ है कि यह ग्राहकों द्वारा लौह अयस्क की मांग के अनुरूप नहीं थी। समिति ने पाया कि जापान और दक्षिण कोरियाई

स्टील मिल्स को लौह अयस्क का निर्यात बंद हो गया है क्योंकि इन देशों के साथ एलटीए को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था। इससे एनएमडीसी के बाजार पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एनएमडीसी ने कहा कि नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र (आईएसपी) के परिचालन शुरू होने के बाद 4-5 एमपीटीए की अतिरिक्त मांग से आवंटित और निकासी किए जाने वाले लौह अयस्क के बीच का अंतर कम हो जाएगा। फिर भी नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र से 4-5 एमपीटीए की अपेक्षित मांग पर विचार करने के पश्चात और जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ एलटीए समाप्त होने के बाद समिति का मानना है कि लौह अयस्क की आवंटित और निकासी गई मात्रा के बीच का अंतर और बढ़ गया है। विडंबना यह है कि ऐसे परिदृश्य में कंपनी ने छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन्स से लौह अयस्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा नहीं किया है, जो आवंटित मात्रा और निकासी गई मात्रा के बीच के अंतर को कम कर सकता था। समिति का मानना है कि यदि मौजूदा ग्राहक आधार का विस्तार नहीं किया जाता, नए दीर्घकालिक ग्राहकों को शामिल नहीं किया जाता और विदेशी ग्राहकों के साथ एलटीए का नवीनीकरण नहीं किया जाता तो 2024-25 तक 67 एमटीपीए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए समिति चाहती है कि छत्तीसगढ़ स्थित स्पंज आयरन उत्पादकों की लौह अयस्क की मांग को तत्काल पूरा किया जाए। आगे यदि 2024-25 तक 67 एमपीटीए की लक्षित बिक्री को प्राप्त करना है तो नए दीर्घकालिक ग्राहकों को सूचीबद्ध करने, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ एलटीए के नवीनीकरण के साथ साथ ग्राहक

आधार के तत्काल विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु समुचे प्रयास करने की आवश्यकता है।

7. डोनिमलाई क्षेत्र में कोई दीर्घकालिक समझौता (एलटीए) नहीं है और लौह अयस्क की बिक्री केवल ई-नीलामी मोड के माध्यम से की जाती है जिसका संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार निगरानी समिति द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में बिक्री उस अवधि के लिए नीलामी निष्पादन पर निर्भर करती है। एनएमडीसी ने कहा है कि वे वर्षों से डोनिमलाई क्षेत्र समस्त उत्पादन बेच रहे थे और मौजूदा ग्राहकों को कंपनी अपने डोनिमलाई क्षेत्र से अपना पूरा उत्पादन बेच सकती है। हालांकि समिति ने नोट किया कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान इस क्षेत्र में भी निकासी गई मात्रा आवंटित मात्रा से सदैव 3 से 5 एमटीपीए कम थी जिसका अर्थ है कि लौह अयस्क की मांग ग्राहकों की मांग के अनुरूप नहीं थी। समिति मानती है कि नीलामी नियम की स्थापना ने एनएमडीसी के जोखिमों को बढ़ा दिया है क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और एएम-एनएस इंडिया जैसे इसके प्रमुख ग्राहकों ने खनिज समृद्ध राज्यों में रक्षित खानों का अधिग्रहण किया है और नई अधिग्रहित खानों से उत्पादन शुरू कर दिया है और निकट भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना बनाई है। निकट भविष्य में अधिक नीलामी से इस्पात कंपनियों के साथ-साथ अन्य ग्राहकों के लिए अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध होने की संभावना है, जिससे लंबी अवधि में एनएमडीसी के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समिति चाहती है कि

एनएमडीसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से महामारी के बाद की अवधि में इस्पात की बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमत में लगातार वृद्धि का लाभ उठाए, जिससे घरेलू लौह अयस्क की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, एनएमडीसी को निजी कंपनियों से सक्रिय रूप से निपटने, नए ग्राहकों को शामिल करने और मजबूत विपणन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, अगर इसे बाजार में बने रहना है और दूसरों से उत्कृष्टत होना है।

छ . <u>कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के स्क्रीनिंग प्लांट-II के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी</u>

8. समिति ने नोट करती है कि डोनिमलाई लौह अयस्क परियोजना (डीआईओपी) में अतिरिक्त भंडार की पहचान करने के लिए, एनएमडीसी ने कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) में एक दूसरे स्क्रीनिंग प्लांट (एसपी -2) के निर्माण का निर्णय लिया। कंपनी ने स्क्रीनिंग प्लांट II के लिए मार्च 2014 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन किया। हालांकि, कंपनी द्वारा किए गए आवेदन के 03 वर्षों से अधिक समय के बाद ईसी प्राप्त हुआ था। इस अत्यधिक विलंब का कारण ग्राम सभा आयोजित करने में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से विलंब के साथ-साथ एनएमडीसी द्वारा संशोधित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के लिए आवेदन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफलता और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में हुई देरी का होना है। इसी तरह,

एसपी-2 (स्टेज-1) के लिए वन मंजूरी (एफसी) जिसे एनएमडीसी ने दिसंबर 2014 में आवेदन किया था, 7 साल बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। वन विभाग को अलग-अलग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) का नक्शा जमा करने में देरी और टीओआर में संशोधन के लिए आवेदन फिर से जमा करने के कारण एफसी को रोक दिया गया था। साक्ष्य के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने देरी को स्वीकार किया और बताया कि ये उनके लिए प्राथमिकता वाले मद थे और अब वास्तविक समय के आधार पर काम की निगरानी की जा रही है। तथापि, समिति कंपनी के प्रबंधन के ढीले रवैया से परेशान है जो संबंधित प्राधिकारियों को समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने और विभिन्न स्वीकृतियों को आगे बढ़ाने में विफल रही है। समिति का मानना है कि यदि विभिन्न चरणों में कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए कोई ठोस निगरानी तंत्र होता, तो इतने वर्षों के विलंब से बचा जा सकता था। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि डोनिमलाई लौह अयस्क परियोजना (डीआईओपी) में अतिरिक्त भंडारों की पहचान करने और इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए बिना किसी विलंब के स्क्रीनिंग प्लांट II को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।

ज . <u>किरंदुल कॉम्प्लेक्स में स्क्रीनिंग प्लांट-III की स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) प्राप्त करने में परिवर्जनीय देरी</u>

9. समिति नोट करती है कि एनएमडीसी को किरंदुल कॉम्प्लेक्स में स्क्रीनिंग प्लांट - 3 के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नवंबर 2013 में प्राप्त हुई थी। हालांकि,

ईसी में, कंपनी द्वारा आवेदन की गई भूमि क्षेत्र 74,236 हेक्टेयर के बजाय 65,936 हेक्टेयर उल्लिखित था। समिति को आश्चर्य हुआ है कि एनएमडीसी ने अक्टूबर 2016 से पहले इस विसंगति पर तब तक ध्यान नहीं दिया, जब तक कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) जिनको उन्होंने स्थापना के लिए सहमति (सीईएफ) जारी करने के लिए आवेदन किया था, द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया था। एनएमडीसी ने दिसंबर 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से संशोधित ईसी जारी करने का अनुरोध किया था जो मार्च 2017 में प्राप्त हुआ था। आखिरकार, जुलाई 2017 में सीईसीबी द्वारा सीईएफ प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 38 महीने की परिवर्जनीय देरी हुई। समिति इस बात की निंदा करती है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज पर इस तरह की गंभीर त्रुटि पर एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा 3 वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया जब तक कि सीईसीबी द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया। समिति चाहती है कि इस तरह की गंभीर चूक के कारणों का पता लगाने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक जांच की जाए। इसके साथ ही, विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित समय-सीमा की निगरानी करने और प्रारंभिक चरणों में ऐसी त्रुटियों का पता लगाने के लिए एक ठोस त्रुटिरहित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

झ . <u>विस्फोट की अनुमति नहीं मिलने के कारण किरंदुल परियोजना में देरी</u>

10. समिति को सूचित किया जाता है कि स्क्रीनिंग प्लांट III परियोजना, किरंदुल के लिए कार्य आठ पैकेजों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है और संशोधित अनुसूची के अनुसार, परियोजना को अगस्त 2024 तक पूरा किया जाना है। तथापि, समिति ने नोट किया है कि 2 पैकेजों में होने वाला कार्य सौंपा जाना अभी बाकी है। एनएमडीसी ने स्पष्ट किया कि साइट विकास और निर्माण पैकेज के निष्पादन के दौरान, कंपनी कठोर चट्टानों को विस्फोट के माध्यम से नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए कंपनी को अन्य साधनों पर विचार करना पड़ा जैसे विस्फोट के स्थान पर कठोर चट्टान को तोड़ने के लिए विशाल सीमेंट मोर्टार का उपयोग करना, परिणामस्वरूप यह समय लेने वाली प्रक्रिया साबित हुई। समिति यह नहीं समझती है कि कंपनी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विस्फोट करने के बुरे परिणामों का जायजा लेने में कैसे विफल रही। समिति का मानना है कि एनएमडीसी द्वारा परियोजना की परिकल्पना करते समय, क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय, डीपीआर इत्यादि तैयार करते समय उचित सम्यक उद्यम नहीं किया गया, अन्यथा ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहले से ध्यान दिया जा सकता था और परियोजना में देरी से बचा जा सकता था। समिति अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करती है और एनएमडीसी को भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की इच्छा व्यक्त करती है।

अ. <u>नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना</u>

11. समिति यह नोट करती है कि राष्ट्रीय स्टील नीति के अनुसार सरकार 2005 ने मार्च 2008 में यह निर्णय लिया कि चूंकि एनएमडीसी के पास पर्याप्त नकद राशि है तथा इसे मुख्य कच्चा माल जैसे लौह-अयस्क आसानी से उपलब्ध है अतः यह अपने आप एक स्टील संयत्र की स्थापना कर सकती है। एनएमडीसी के बोर्ड ने जुलाई में मेकॉन लिमिटेड को परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक 2008 व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिसे मेकॉन द्वारा दिसंबर में प्रस्तुत किया गया था। एनएमड 2008ीसी के बोर्ड ने यथोचित परिश्रम के पश्चात् जनवरी में छत्तीसगढ़ में 15 2010, 525 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) की स्थापना की स्वीकृति दी। एनआईएसपी को मार्च 2014 तक पूरा कर चालू किया जाना था। तथापि, समिति यह जानकर व्यथित है कि परियोजना में विलंब हुआ क्योंकि परियोजना के लिए कार्य एक व्यापक और सटीक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के बजाय एक अस्थायी टीईएफआर के आधार पर सौंपा गया था। टीईएफआर पर निर्भर रहने के निर्णय के कारण तकनीकी विनिर्देशों में संशोधन, निविदाओं में संशोधन, समय लंघन और परियोजना की अनुमानित लागत 15,करोड़ रुपये से बढ़कर 22 525,करोड़ 196 रुपये हो गई। एनएमडीसी ने तर्क दिया कि डीपीआर ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है क्योंकि इसकी तैयारी में काफी समय लगता है, जिससे परियोजना की निर्धारित समय सीमा में और परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, और यह भी कि अतीत में कई निजी कंपनियों और इस्पात कंपनियों ने टीईएफआर के आधार पर अपनी विस्तार परियोजनाओं नई परियोजनाओं को निष्पादित किया है। तथापि /, समिति एनएमडीसी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है क्योंकि टीईएफआर के अनुसार काम करने के बाद भी एनआईएसपी की परियोजना में वर्षों से अधिक का विलंब 8 हुआ है और परियोजना अभी भी अधूरी है। समिति का मानना है कि टीईएफआर के कारण विशेष रूप से 03 प्रमुख कार्यों के कार्यों और निविदाओं के तकनीकी विनिर्देशों में परिवर्तन करना पड़ा जो इस प्रकार हैं (एक) कच्चामाल संचालन

प्रणाली) ,दोउप-उत्पाद संयत्र और (तीन) लाइम और डोलोमाइट कैल्सिन्ड संयत्र। (जिसके कारण निविदाओं को रद्द कर नए ठेकेदारों को निविदाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा कंपनी और मंत्रालय स्तर पर नियमित निगरानी के बाद भी एनआईएसपी परियोजना की लागत 15,करोड 525ः रुपये से बढ़कर 22, 196 करोड़ रुपये हो गई और एनआईएसपी परियोजना साल की अनुमानित देरी के 9 बाद मार्च 2024 तक पूरी होने की संभावना है। समिति की राय है कि यद्यपि एनएमडीसी इस्पात संयंत्रों की स्थापना के क्षेत्र में नया था तथापि इसने स्वेच्छा से इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में डीपीआर तैयार नहीं करने का निर्णय लेने की गलती की और इसके बजाय अस्थायी टीईएफआर पर बहुत अधिक निर्भरता दिखायी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर करोड़ रुपये का 6671 अतिरिक्त बोझ पड़ा और 9 साल की देरी हुई। समिति इस परियोजना की लागत में वृद्धि और समय लंघन से भी आशंकित है जिसके कारण सरकार को एनआईएसपी के विनिवेशविघटन पर निर्णय लेना पड़ा जो साथ-साथ प्रक्रियाधीन / भी है। समिति को केवल यह आशा है कि इस्पात मंत्रालय द्वारा निरंतर निगरानी में परियोजना को बिना किसी और लागत और समय वृद्धि के संशोधित समय में पूरा किया जाएगा।

ट . <u>स्पंज आयरन यूनिट पलवान्चा, तेलंगाना ,</u>

12 . समिति नोट करती है कि एनएमडीसी ने इस्पात मंत्रालय के आग्रह पर जुलाई में तेलंगाना के पलवान्चा में घाटे में चल रही स्पंज आयरन इंडिया 2010 लिमिटेड (एसआईआईएल) का अधिग्रहण किया।उत्पादन की उच्च लागत के कारण स्पंज आयरन का उत्पादन अलाभकारी हो गया और एसआईआईएल का कुल घाटा जो में 194.77 करोड़ रुपये था, 31 2017मार्च तक बढ़कर 2021 करोड़ रुपये हो गया। समिति को यह जानकर निराशा हुई कि जर्जर स्पंज 273.69 आयरन यूनिट को पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटके निर्माण द्वारा और फिर कोल्ड रोल्ड कॉइल यूनिट द्वारा कायाकल्प की योजनाओं को एनएमडीसी ने

विभिन्न कारणों से बंद कर दिया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत कंपनी ने 428 एकड़ उपलब्ध भूमि का ताप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया था। समिति इस बात से नाखुश है कि सरकार ने रुचिअभिव्यक्ति पत्र जारी करके एसआईआईएल इकाई को बेचने की कोशिश की - थी, पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। समिति इस बात से भी चकित है कि सरकार जुलाई, में एक जर्जर और घाटे में चल रही स्पंज आयरन इकाई का 2010 अधिग्रहण करने पर जोर दे रही थी और इसलिए समिति इसके कारणों को जानना चाहती है। कंपनी को घाटे से बाहर निकालने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कंपनी की कायाकल्प योजना से समिति अवगत नहीं है। चूंकि कंपनी का घाटा सालदर-साल बढ़ता जा रहा है और इसका कोई भावी खरीदद-ार भी नहीं है, अतः समिति सिफारिश करती है कि पलवान्चा की एसआईआईएल इकाई को घाटे से बाहर लाने के लिए एक ठोस कायाकल्प योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाए।

ठ . <u>गैर लाभकारी संयुक्त उद्यमों में एनएमडीसी द्वारा निवेश-</u>

.13 समिति नोट करती है कि विदेशों से मेटलर्जिकल कोकिंग कोयला और थर्मल कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य से, मई में इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड 2009 (आईसीवीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया था।जुलाई में 2014, आईसीवीएल ने मोजाम्बिक में स्थित कोयला खदान और कोयला परिसंपत्तियों के स्वामित्व के अधिग्रहण का निर्णय लिया। एनएमडीसी ने आईसीवीएल में करोड़ रुपये का निवेश किया था। तथापि 376.36 एनएमडीसी ने आईसीवीएल के व्यय बजट को पूरा करने और बकाया ऋण चुकाने के लिए आईसीवीएल को करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी योगदान दिया। समिति 2.50 नोट करती है कि एनएमडीसी ने सलाहकार द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट तथा निवेश से अब तक कोई लाभ नहीं मिलने के बावजूद आईसीवीएल में अब तक 590.51 करोड़ रुपये का निवेश किया है । इसी तरह, एनएमडीसी ने मई 2011 में लिगेसी

आयरन ओर लिमिटेड (एलआईओएल), ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिग्रहित खदानों पर प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से एलआईओएल के 50 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया। यद्यपि मूल्यांकनअध्ययन हेतु नियुक्त सलाहकार ने सलाह दी - थी कि यह एक नकारात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) परियोजना थी तथा लघु से मध्यम अवधि में एक अत्यल्प संपत्ति थी तथापि एनएमडीसी ने एलआईओएल में कुल करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके अलावा 168.53 एलआईओएल के शेयर मूल्य में गिरावट के कारण, एनएमडीसी द्वारा किया गया निवेश करोड़ रुपये से घटकर 17.13 करोड़ रुपये हो गया। समिति यह 168.53 जानकर निराश है कि दोनों मामलों मे ं सलाहकारों द्वारा नकारात्मक राय देने के बावजूद एनएमडीसी द्वारा निवेश किया गया और समिति इसके कारणों को जानना चाहती है। समिति का विचार है कि एनएमडीसी को विदेशों में कोई निवेश करने से पहले परियोजना सलाहकारों द्वारा दी गई राय का उचित संज्ञान लेना चाहिए था। प्राप्त अनुभवों के आधार पर समिति अपेक्षा करती है कि एनएमडीसी भविष्य में संयुक्त उद्यमों में रणनीतिक निवेश करते समय अधिक सावधान रहेगा।

<u>नई दिल्ली;</u>	संतोष कुमार गंगवार
<u>15 दिसम्बर, 2022</u>	सभापति
24 अग्रहायण, 1944	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

****

परिशिष्ट 1

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 27 अक्तूबर, 2021 को बजे से 1605 बजे तक 1505 समितिकमरा सं .'2', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
4. श्री जनार्दन मिश्र
5. श्री नामा नागेश्वर राव
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

8. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
9. श्री ओम प्रकाश माथुर
10. श्री के. सी. रामामूर्ति
11. श्री एम शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3. श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन	-	उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2. श्री एम एस. सुब्रमण्यम.	-	महानिदेशक
3. डा. कविता प्रसाद	-	महानिदेशक
4. सुश्री रितिका भाटिया	-	महानिदेशक
5. श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	प्रधान निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष दी जाने वाली संक्षिप्त जानकारी की गोपनीयता के संबंध में "अध्यक्ष के निदेश" के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट कराया। तत्पश्चात् नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया और समिति को 'एनडीएमसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन से संबंधित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेद 2019न संख्या 5' पर विस्तृत ब्यौरा दिया जिसमें विभिन्न मुद्दे उठाए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवास्तविक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना, क्षमता वर्धन, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना से संबंधित कार्यकलाप, सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करना, पन्ना, म.प्रमें हीरे के खनन से संबंधित विविधीकरण कार्यकलाप ., पलोन्चा, तेलंगाना में स्पन्ज लौह इकाई और डोनीमलाई, कर्नाटक में पैलेट संयंत्र, एनडीएमसी और सीएमडीसी के बीच संयुक्त उद्यम, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड में एनडीएमसी द्वारा निवेश और आंतरिक नियंत्रण और मॉनीटरिंग आदि शामिल थे।

सीएंडएजी के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को संबंधित इस्पात मंत्रालय से प्राप्त कीगई-कार्रवाई टिप्प-णों (एटीएन) और तदुपरांत सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं के ज्ञापन (एमआईपी) के संबंध में भीजानकारी प्रदान की।

3. तत्पश्चात्, सभापति और सदस्यों ने सीएंडएजी के कार्यालय के प्रतिनिधियों से एनडीएमसी के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा गलत नीतिगत निर्णय लिए जाने के कारण हुई हानि, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां, ऑफशोर निवेश के लिए स्पष्टीकरण, अविवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करना, सीपीएसयू और संबंधित मंत्रालय के बीच संबंध, एनडीएमसी से अन्य पीएसयू को होने वाली आपूर्ति में कमियां इत्यादि शामिल थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए और चूंकि एनडीएमसी से संबंधित मुद्दे कार्य योजना में गंभीर कमियों और अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने से संबंधित थे, समिति ने यह निर्णय लिया कि एनडीएमसी और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों को किसी अन्य दिन विस्तृत चर्चा के लिए बुलाया जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट 2

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-2022)

समिति की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1610 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूमितल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्री अर्जुन लाल मीणा
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. श्री सुशील कुमार सिंह
8. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

9. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
10. श्री केराममूर्ति .सी.
11. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1.	श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
2.	श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
3.	श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधि

1.	श्री राज गणेश विश्वनाथन	-	उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक, समन्वय और स्थानीय निकाय) और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड
2.	डॉ कविता प्रसाद	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक)-I
3.	सुश्री रीतिका भाटिया	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक)-II
4.	श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	प्रधान निदेशक (संसदीय समितियां)

एनएमडीसी के प्रतिनिधि

1.	श्री सुमित देव	-	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2.	श्री अमिताभ मुखर्जी	-	निदेशक(वित्त)
3.	श्री सोमनाथ नंदी	-	निदेशक(तकनीकी)
4.	श्री एस. सुरेन्द्र	-	कार्यकारी निदेशक (अभियंता और परियोजना)

2. सभापति ने बैठक में सदस्यों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों का स्वागत किया जिसका आयोजन एनएमडीसी के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिए किया गया था और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में अवगत कराया।

(तत्पश्चात, एनएमडीसी के प्रतिनिधियों को भीतर बुलाया गया।)

3. सभापति ने एनएमडीसी के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 55 (1) की ओर आकृष्ट कराया। तत्पश्चात, एनएमडीसी के प्रतिनिधियों ने समिति को एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 पर संक्षिप्त जानकारी दी। जिन मुद्दों पर बात की गई उनमें

अन्य बातों के साथ-साथ देश के इस्पात क्षेत्र के संबंध में एनएमडीसी की पृष्ठभूमि, हाल के वर्षों में उत्पादन, कंपनी का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) और टर्न-ओवर, जलवायु स्थिति के कारण उत्पादन में आने वाली बाधाएं, पट्टे और वन स्वीकृतियां प्राप्त न होना, एकीकृत इस्पात संयंत्र और स्क्रीनिंग संयंत्रों को चालू करने में विलंब, एनएमडीसी के संयुक्त उद्यमों से संबंधित मुद्दे और जेकेएमडीसी को बंद करना, स्क्रीनिंग प्लांट III के लिए निकासी प्रक्रिया और कर्नाटक में लौह परियोजनाएं आदि शामिल हैं। चर्चा किए गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में किरंदुल-कोठावालासा (केके) रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विलंब के कारणों का विश्लेषण और काम में देरी के कारण ठेकेदारों से जुर्माना वसूली, कर्नाटक में लौह-अयस्क परियोजनाएं, डोनिमलाई पेलेट प्लांट, एनएमडीसी के तहत बंद स्पंज आयरन यूनिट की भूमि का वैकल्पिक उपयोग और पुराने हीरे के स्टॉक का निपटान आदि शामिल थे।

4. तदुपरांत, सदस्यों ने इस्पात क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में एनएमडीसी की भूमिका, लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि के संबंध में एनएमडीसी का लाभ, अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यमों में निवेश, परियोजनाओं की आर्थिक अव्यवहार्यता, निवेश निर्णय लेने में कमी, एनएमडीसी द्वारा अवास्तविक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के पीछे तर्कसंगतता, ड्राइंग प्रस्तुत करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विलंब, घाटे में चल रही स्पंज आयरन परियोजना प्राप्त करने के कारण, एनएमडीसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से प्राप्त नोटिस, पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी और बिक्री नहीं हुए हीरों के निपटान के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की तैनाती आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए।

5. एनएमडीसी के प्रतिनिधियों ने उन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जिनके संबंध में उनके पास सूचना तत्काल उपलब्ध थी। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि जिन विषयों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी, उनके संबंध में 10 दिनों के भीतर समिति सचिवालय को लिखित उत्तर भेजे जाएं।

(तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।)

परिशिष्ट 3

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

समिति की सोलहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, दिसम्बर 14, को 1610 बजे से 1700 बजे तक समिति 2021 'कक्ष 'डी, भूमि तलसंसदीय सौध ,, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. **डॉ हिना विजयकुमार गावीत .**
3. **श्री सी जोशी.पी.**
4. **श्री अर्जुन लाल मीणा**
5. **श्री जनार्दन मिश्र**
6. **श्री नामा नागेश्वर राव**
7. **श्री सुशील कुमार सिंह**
8. **श्री रामदास तडस**

राज्य सभा

9. **श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य**
10. **श्री के. सी. राममूर्ति**
11. **श्री एम. शनमुगम**

सचिवालय

1. **श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - निदेशक**
2. **श्री प्रसाद .सी.जी - अपर निदेशक**
3. **श्रीमती मृगांका अचल - उप सचिव**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन	-	उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक, समन्वय और स्थानीय निकाय और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड)
2. डॉ कविता प्रसाद	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक) - i
3. सुश्री रितिका भाटिया	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक) - ii
4. श्री शैलेंद्र विक्रम सिंह	-	प्रधान निदेशक (संसदीय समिति)

इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. सुश्री रसिका चौबे	-	अपर सचिव
2. सुश्री सुकृति लेखी	-	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
3. श्री जी गोपालकृष्णन	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्यों की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात, इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को एनएमडीसी लिमिटेड के परिचालनात्मक कार्य निष्पादन से संबंधित पर जानकारी दी। जिन मुद्दों पर चर्चा 5 परीक्षा रिपोर्ट संख्या-की लेखा 2019 सा-की गई उनमें अन्य बातों के साथथ रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी), परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब, विलंबित परियोजनाओं के लिए मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्टें, व्यावसायिक निर्णय, देश के इस्पात उत्पादन में एनएमडीसी की भूमिका, मंत्रालय द्वारा उत्पादन की निगरानी, डैशबोर्ड के माध्यम से कैपेक्स मॉनीटरिंग और निगरानी तथा ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण तथा ब्राउनफील्ड खानों के विस्तार से

संबंधित समस्याएं शामिल थी। जिन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें हाल में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि, एनएमडीसी के लाभ में वृद्धि, वित्तीय वर्षों की अंतिम तिमाहियों में उच्च उत्पादन, एनएमडीसी के उत्पादित लौह अयस्क के संभावित खरीदार, भंडार 11बी और भंडार 13 खानों के मुद्दे, भंडार 13 में विरोध के कारण परियोजना को रोकना. किरंदुलरेलवे लाइनों के दोहरीकरण और (केके) कोठवलसा- इस संबंध में रेलवे मंत्रालय के साथनियमित संपर्क, घाटे में चल रही इकाई पालोनचा की स्पंज आयरन इकाई, इसके पुनरुद्धार और 2016 के बाद से हीरे के बिना बिके स्टॉक से संबंधित समस्याएं शामिल थी।

3. तत्पश्चात्, सभापति और सदस्यों ने एनएमडीसी के विभिन्न पहलुओं पर इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों से हीरे के स्टॉक के विलंबित निपटान के कारणों और इसमें मंत्रालय की भूमिका, पर्यावरण और वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों के संबंध में इस्पात मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच समन्वय, अन्य इस्पात उत्पादक देशों की तुलना में भारत में प्रति इकाई और जनशक्ति इस्पात के उत्पादन की लागत , इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, मेकइंडिया के अंतर्गत इस्पात -इन- विनिर्माण उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन की योजनाएं, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घावधि संविदाओं का नवीकरण न किए जाने के कारण और मंत्रालय द्वारा संविदाओं का नवीकरण करने की योजनाएं, यदि कोई हों, आदि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

4. इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जिनके संबंध में उनके पास सूचना तत्काल उपलब्ध थी। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि जिन विषयों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हो, उनके संबंध में 10 दिनों के भीतर समिति सचिवालय को लिखित उत्तर भेजे जाएं।

तत्पश्चातसमिति की बैठक स्थगित हुई। ,

परिशिष्ट 4

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2022-23)

समिति की बाईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 15 दिसंबर, 2022 को 1530 बजे से 1705 बजे तक समिति कमरा सं. 1, ब्लॉक-ए, संसदीय सौध विस्तार भवन (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
6. श्री अर्जुन लाल मीणा
7. श्री जनार्दन मिश्र
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

11. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
12. श्री सैयद नासिर हुसैन
13. डॉ. अनिल जैन
14. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री सन्तोष कुमार - निदेशक
3. श्री जी.सी. डोभाल - अपर निदेशक
4. श्रीमती मृगांका अचल - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात् समिति ने "सी एंड एजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं 5 के आधार पर एनएमडीसी लिमिटेड का प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन" विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति को सी एंड एजी तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पश्चात् इसे संसद के वर्तमान सत्र के दौरान प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् साक्षियों को भीतर बुलाया गया।

4.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
5.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

/---------/